41	रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति **(2022-23)** **सत्रहवीं लोक सभा**

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रो विभाग)

अनुदानों की मांगे

(2023-24)

इकतालीसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

सीसीएंडएफ सं. 169

इकतालीसवां प्रतिवेदन

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पेट्रोरसायन विभाग)

अनुदानों की मांगे
(2023-24)

21.03.2023 **को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।**

21.03.2023 **को राज्य सभा पटल पर रखा गया**

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

विषय सूची

		पृष्ठ
समिति (2022-23) की संरचना		(iv)
प्राक्कथन		(vi)
संक्षेपाक्षर		
	प्रतिवेदन	
भाग एक	**कथन**	
I	प्रस्तावना	1
II	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग हेतु प्रस्तावित और अनुमोदित वित्तीय परिव्यय	2
III	2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान बजटीय आबंटन की तुलना में उपयोग	4
IV	स्कीम-वार विश्लेषण क. पेट्रोरसायन की नई स्कीमें (एनएसपी) एक. उप स्कीम-प्लास्टिक पार्कों की स्थापना सबंधी स्कीम दो. उप स्कीम- उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना संबंधी स्कीम तीन. उप स्कीम- पेट्रोरसायन अनुसंधान और न्वोन्मेष संस्तुति स्कीम (पूर्ववर्ती नाम, रसायन संवर्धन और विकास स्कीम) ख. केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) ग. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्लूएमसी) घ. पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)	5
V	अन्य मुद्दे एक. गुणवत्ता नियंत्रण आदेश दो. सुमेलित प्रणाली (एचएस) संहिता	27
भाग दो	**टिप्पणियां/सिफारिशें**	31
	अनुबंध	
I	**प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना (अहमदाबाद, बंगलुरू, पटना और वाराणसी)**	47
	परिशिष्ट	
I.	दिनांक 14 फरवरी, 2023 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बैठक का कार्यवाही सारांश।	54
II.	दिनांक 20 मार्च, 2023 को हुई रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) की बैठक का कार्यवाही सारांश।	58

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की संरचना
(2022-23)

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य
लोक सभा

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री एम. बदरूद्दीन अजमल
4. श्री सी. एन. अन्नादुरई
5. श्री दीपक बैज
6. श्री रामाकान्त भार्गव
7. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
8. श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
9. डॉ. संजय जायसवाल
10. श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
11. श्री कृपानाथ मल्लाह
12. श्री सत्यदेव पचौरी
13. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
14. श्री अरूण कुमार सागर
15. श्री एम. सेल्वराज
16. डॉ. संजीव कुमार शिंगरी
17. श्री अतुल कुमार सिंह ऊर्फ अतुल राय
18. श्री प्रदीप कुमार सिंह
19. श्री उदय प्रताप सिंह
20. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
21 श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

राज्य सभा

22. श्री जी. सी. चन्द्रशेखर
23. डा. अनिल जैन
24. श्री अरूण सिंह
25. श्री राम नाथ ठाकुर*
26. श्री विजय पाल सिंह तोमर
27. रिक्त
28. रिक्त
29. रिक्त
30. रिक्त
31. रिक्त

* नामांकित w.e.f. 13.02.2023 लोकसभा बुलेटिंग-भाग II पैरा संख्या 6251 दिनांक 14.02.2023 द्वारा।

सचिवालय

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री एन. के. झा	-	निदेशक
3.	श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक
4.	श्री कुलविंदर सिंह	-	उप सचिव

प्राक्कथन

मैं, रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का सभापति, समिति की ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर, रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय से संबंधित 'अनुदानों की मांगों (2023-24)' संबंधी यह इकतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2023-24) पर विचार किया, जिन्हें 10 फरवरी, 2023 को सभा पटल पर रखा गया था। तदुपरांत समिति ने 14 फरवरी, 2023 को रसायन और पेट्रोरसायन विभाग के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। समिति ने 20 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

3. समिति विषय की जांच के संबंध में अपेक्षित जानकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करने और साक्ष्य देने के लिए रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधिकारियों का आभार व्यक्त करती है।

4. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा उसे प्रदान की गई महत्वपूर्ण सहायता के लिए उनकी सराहना करती है।

5. संदर्भ और सुविधा के लिए समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली;
20 मार्च, 2023
29 फाल्गुन, 1944 (शक)

डॉ. शशि थरूर
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन में प्रयुक्त शब्दों का संक्षेपाक्षर

एपीडीडीआरएल	उन्नत पॉलिमर डिजाइन एवं विकास अनुसंधान प्रयोगशाला
एआरएसटीपीएस	उन्नत प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद सिमुलेशन अनुसंधान विद्यालय
बीजीएलडी	भोपाल गैस रिसाव आपदा
सीएंडपीसी	रसायन एवं पेट्रो-रसायन
सिपेट	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
सीओई	उत्कृष्टता केंद्र
सीपीडीएस	रसायन उत्पादन और विकास योजना
सीपीएसयू	सरकारी क्षेत्र के केंद्रीय उपक्रम
सीएसटीएस	कौशल एवं तकनीकी सहायता केंद्र
डीसीपीसी	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
डीओई	व्यय विभाग
डीओआर	राजस्व विभाग
एचआईएल	एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड
एचओसीएल	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड
एचएफएल	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड
आईपीएफटी	कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान
एलएआरपीएम	पॉलिमर सामग्रियों में उन्नत अनुसंधान हेतु प्रयोगशाला
एलटीसी	दीर्घकालिक पाठ्यक्रम
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एनएसपी	पेट्रो-रसायन की नई स्कीमें
पीसीपीआईआर	पेट्रोलियम रसायन और पेट्रो-रसायन निवेश क्षेत्र
एसएससी	योजना संचालन समिति
एसटीसी	अल्पकालीन पाठ्यक्रम
पीडब्लूएमसी	प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्र

प्रतिवेदन

भाग एक

एक. प्रस्तावना

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (डीसीपीसी)) का उद्देश्य देश में रसायन एवं पेट्रो-रसायन क्षेत्रों की वृद्धि और विकास करने के लिए नीति और कार्यक्रम तैयार करना और उन्हे कार्यान्वित करना तथा उद्योग के इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी की भावना को बढ़ावा देना है। विभाग को निम्नलिखित व्यापक विषय संबंधी मामलों को निष्पादित करने का अधिकार है:-

i. कीटनाशक (कीटनाशक अधिनियम, 1968 (1968 का 46) के प्रशासन को छोड़कर));
ii. डाई-स्टफ और डाई-इंटरमीडिएट्स;
iii. सभी कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन जो किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग को विशेष रूप से आवंटित नहीं किए गए हैं;
iv. विभाग द्वारा देखे जा रहे सभी उद्योगों का नियोजन, विकास और नियंत्रण और सहायता;
v. भोपाल गैस रिसाव आपदा-इससे संबंधित विशेष कानून;
vi. पेट्रोरसायन;
vii. नॉन-सेल्यूलोसिक सिंथेटिक फाइबर (नायलॉन पॉलिएस्टर, ऐक्रेलिक आदि) के उत्पादन से संबंधित उद्योग);
viii. सिंथेटिक रबर; और
ix. प्लास्टिक और मोल्डिड सामान के निर्माण सहित प्लास्टिक।

2. विभाग के पांच प्रमुख प्रभाग अर्थात् रसायन, पेट्रोरसायन, प्रशासन, सांख्यिकी और निगरानी (एस एंड एम) और आर्थिक प्रभाग हैं। एकीकृत वित्त प्रभाग रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तीन विभागों के लिए है।

3. रासायन क्षेत्र में तीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) हैं, अर्थात् हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड और एचओसीएल की सहायक कंपनी हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) है। इस विभाग के अंतर्गत दो स्वायत्त संस्थान नामत: केंद्रीय

पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) और कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी) कार्य करते हैं।

4. रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने 10 फरवरी, 2023 को संसद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपनी विस्तृत अनुदान मांगें (मांग संख्या 5) प्रस्तुत कीं। वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व और पूंजीगत व्यय दर्शाने वाला विभाग का बजट अनुमान निम्नानुसार है::-

(करोड़ रुपये में)

व्यय शीर्ष	**बजट अनुमान**
राजस्व	172.55
पूंजीगत	00.90
कुल	173.45

दो. वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (डीसीपीसी) के प्रस्तावित और अनुमोदित वित्तीय परिव्यय

5. समिति ने वर्ष 2023-24 के लिए रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग की प्रत्येक योजना के लिए प्रस्तावित राशि और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा वास्तव में अनुमोदित राशि के संबंध में विवरण मांगा। विभाग ने सारणीबद्ध रूप में अपने उत्तर में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है :-

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**अनुमानित ब.अ. 2023-24**	**आवंटित ब.अ. 2023-24**	**टिप्पणियाँ**
I	**केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं**			
1.1	**पेट्रोरसायन की अन्य नई योजनाएं**	29.93	22.00 (**सीपीडीएस सहित**)	**व्यय की धीमी गति के कारण वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमानित ब.अ. को कम कर दिया गया है।**
1.2	**रासायनिक संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)**	6.00	0.00 (**सीपीडीएस का एनएसपी में विलय**)	
	कुल	**35.93**	**22.00**	
II	**अन्य केंद्रीय व्यय (सचिवालय/बीजीएलडी/एबीएस/पीएसयू)**			
2.1	**सचिवालय/आर्थिक सेवाएं**	22.80	22.55	
2.2	**केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी**	106.20	92.88	

	संस्थान (सिपेट)			
2.3	**कीटनाशक सूत्रीकरण प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी)**	12.62	12.62	
2.4	**हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल)**	0.00	0.00	
2.5	**हिल (इंडिया) लिमिटेड (एचआईएल)**	0.00	0.00	
2.6	**हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड (एचएफएल)***	0.00	0.00	
2.7	**भोपाल गैस रिसाव आपदा (बीजीएलडी)**	23.40	23.40	
	कुल	**165.02**	**151.45**	
	कुल योग	**200.95**	**173.45**	

उपरोक्त से यह पता चलता है कि विभाग को 200.95 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय की तुलना में 173.45 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।.

6. प्रस्तावित आवंटन की तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा निधियों के आवंटन में इस भारी कटौती के कारणों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने बताया है कि विभाग द्वारा व्यय की कम गति के कारण वित्त मंत्रालय ने अनुमानित बजट अनुमान को कम किया गया है।

7. इस संबंध में, समिति ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि विभाग ने भविष्य में निधियों के प्रस्तावित आवंटन में कमी से बचने के लिए व्यय की गति में तेजी लाने के लिए क्या योजना बनाई है। विभाग ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि प्लास्टिक पार्कों, सीओई और सिपेट केंद्रों के लिए एनएसपी योजनाओं और सिपेट में व्यय की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न प्लास्टिक पार्कों, सीओई और सिपेट केंद्रों की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

8. यह पूछे जाने पर कि 173.45 करोड़ रुपये की धनराशि के कम आवंटन को ध्यान में रखते हुए विभाग को किन विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को छोड़ना/स्थगित करना पड़ेगा, विभाग ने बताया कि सीपीसी के लिए पीएलआई योजना को ईजीओएस द्वारा 5000 करोड़ रुपये के लिए अनुमोदित किया गया है और इसलिए डीसीपीसी की मौजूदा योजना अर्थात एनएसपी के तहत पीएमए व्यय के संबंध में ब.अ. 2023-24 में 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। हालांकि, एमओएफ ने पीएलआई योजना के

लिए निधियां आवंटित नहीं की गई हैं। इसके अतिरिक्त, सीपीडीएस, जिसे 01.04.2023 से एनएसपी योजना के साथ विलय कर दिया गया है, के संबंध में एमओएफ द्वारा केवल 3.00 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। सिपेट के खाते में अत्यधिक मात्रा में अव्ययित शेष राशि के कारण 106.20 करोड़ रुपये की तुलना में 92.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, एनएसपी में, एनएसपी स्कीम के तहत विभिन्न प्लास्टिक पार्कों और सीओई द्वारा व्यय की धीमी गति के कारण 22.00 करोड़ रुपये (3.00 करोड़ रुपये की सीपीडीएस निधि सहित) की कम राशि आवंटित की गई है।

तीन. 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान उपयोग की तुलना में बजटीय आवंटन

9. जहां तक रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग के संबंध में 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.) और संशोधित अनुमान (सं.अ.) तथा उसकी निधियों के वास्तविक उपयोग का संबंध है, समिति को निम्नलिखित जानकारी दी गई है:—

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय
2020-21	218.34	295.70	293.04
2021-22	233.14	209.00	208.29
2022-23	209.00	150.68	132.76 **(जनवरी, 2023 की स्थितिनुसार)**

10. समिति ने पाया कि 2020-21 के 218.34 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को बढ़ाकर 2020-21 के संशोधित अनुमान में 295.70 करोड़ रुपये कर दिया गया था, हालांकि निधियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया और वास्तविक व्यय 293.04 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2020-21 के दौरान आवंटित 2.76 करोड़ रुपये की धनराशि का उपयोग न किए जाने के कारण पूछे जाने पर विभाग ने सूचित किया है कि 2020-21 के दौरान 2.76 करोड़ रुपये का उपयोग नहीं होने के कारण भोपाल गैस रिसाव आपदा शीर्ष के तहत 2.50 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि कोविड महामारी और पीएफएमएस से संबंधित तकनीकी मुद्दों के कारण भोपाल गैस के पीड़ितों को अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

11. इसके अतिरिक्त, 233.14 करोड़ रुपये के बजट अनुमान, 2021-22 को संशोधित कर 209.00 करोड़ रुपये कर दिया गया और व्यय 208.29 करोड़ रुपये ही रहा। इस संबंध में, विभाग ने कहा है कि

पीएओ के दिनांक 31.12.2022 के विवरण के अनुसार वास्तविक व्यय 208.29 करोड़ रुपये (संशोधित अनुमान 2021-22 से 99.66%) रहा। इसलिए, डीसीपीसी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सं.अ. चरण में आवंटित धन का पूरा उपयोग करने का प्रयास किया है।

12. समिति ने बजट अनुमान, 2022-23 के उस संशोधित अनुमान जो 2022-23 में 209.00 करोड़ रुपये से घटाकर 150.68 करोड़ रुपये कर दिया गया है, को कम किए जाने के कारणों के बारे में भी पूछा। उत्तर में, विभाग ने बताया कि सं.अ. स्तर पर निधियों के आवंटन को मुख्य रूप से एनएसपी, सिपेट और एचएफएल के तहत कम उपयोग के कारण संशोधित किया गया था। एनएसपी में संशोधित अनुमान में 7.92 करोड़ रुपये की राशि इस कारण से कम कर दी गई है कि एनएसपी स्कीम के अंतर्गत कार्यान्वित की गई अधिकांश परियोजनाएं उस स्तर पर हैं जहां कतिपय उपलब्धियों को पूरा करने के बाद ही उन्हें निधियां जारी की जा सकती हैं। सिपेट ने सिपेट केंद्र की स्थापना के लिए श्रीनगर या जम्मू में भूमि की पहचान लंबित होने और संबंधित राज्य सरकारों से धीमी प्रतिक्रिया के कारण नासिक और बिहटा (पटना) में सिपेट केंद्र के लिए निधियाे ं का कोई आवंटन प्रस्तावित नहीं किए जाने के कारण वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सं.अ. आवंटन में कमी का अनुरोध किया है। एचएफएल के लिए, सभी देनदारियों का निपटान कर दिया गया है, इसलिए बजट अनुमान स्तर पर 1.33 करोड़ रुपये की आवंटित राशि को संशोधित चरण में शून्य कर दिया गया है।

चार. योजना-वार विश्लेषण

क. पेट्रोरसायन की नई योजना (एनएसपी)

13. समिति को बताया गया है कि पेट्रोरसायनों की नई योजनाओं (एनएसपी) में तीन उप-योजनाएं हैं (i) प्लास्टिक पार्क, (ii) उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) और (iii) रासायन संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस), जिसका नाम बदलकर अब "पेट्रोकेमिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन कमेंडेशन स्कीम" कर दिया गया है।"

14. पिछले तीन वर्षों और 2023-24 के दौरान एनएसपी के लिए बजटीय प्रावधान निम्नानुसार दिए गए हैं::- **(₹ करोड़ में)**

वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित अनुदान	वास्तविक आवंटन		वास्तविक उपयोग
		ब.अ.	सं.अ.	
2020-21	60.86	53.79	22.85	22.85

2021-22	76.78	53.73	51.13	51.13
2022-23	102.27	48.50	29.00	24.22 (31 दिसंबर, 2022 तक)
2023-24	29.93	22.00	---	----

(i) <u>उप योजना</u>**:** <u>प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की योजना</u>

15. विभाग घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए, सामुहिक विकास के दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाएं प्रदान कर, आवश्यक अत्याधुनिक अवसंरचना के साथ, आवश्यकता-आधारित प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की एक योजना लागू कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य प्लास्टिक क्षेत्र में निवेश, उत्पादन और निर्यात को बढ़ाना है। इस योजना के तहत, भारत सरकार प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत का 50% तक अनुदान प्रदान करती है। विभाग ने अब तक 10 प्लास्टिक पार्क स्वीकृत किए हैं।

16. योजना के बारे में विस्तार से पूछने पर, यह बताया गया कि इस योजना का उद्देश्य निवेशकों को अपेक्षित अवसंरचना के साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना और प्रदान करना है जिसमें सड़क, जल आपूर्ति, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, बहिस्त्राव शोधन संयंत्र, दूरसंचार लाइनें, ठोस/हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन, भस्मक आदि शामिल हैं साथ ही इनके लिए प्रशासनिक भवनों, क्रेच/कैंटीन/छात्रावास/विश्राम एवं मनोरंजन केंद्र, श्रमिक सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली, और कैरेक्टराइजेशन, प्रोटोटाइप और वर्चुअलाइजेशन, अविनाशी सामग्री परीक्षण, इनक्यूबेशन, प्रशिक्षण, भंडारण, प्लास्टिक पुनर्चक्रण, टूलिंग आदि के लिए उपकरण/मशीनरी केन्द्र। इसके अलावा, भारत सरकार प्रति परियोजना 40.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन परियोजना लागत के 50% तक अनुदान वित्त पोषण प्रदान करती है। परियोजना में शेष अंशदान राज्य सरकार अथवा राज्य औद्योगिक विकास निगम अथवा राज्य सरकार की इसी प्रकार की एजेंसियों, हितग्राही उद्योगों तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण का है।

17. यह पूछे जाने पर कि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना घरेलू डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को मजबूत करने में कहां तक सक्षम रही है, विभाग ने कहा है कि चूंकि प्लास्टिक पार्कों का विकास अभी भी प्रगति पर है और इन पार्कों में केवल कुछ इकाइयां चालू हैं, इसलिए घरेलू डाउनस्ट्रीम

प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग की क्षमताओं को समेकित करने के लिए प्लास्टिक पार्कों की क्षमता का आकलन अभी तक नहीं किया जा सकता है।

18. प्रति परियोजना 40 करोड़ रुपये की सीमा तय करने के पीछे तर्क के बारे में पूछने पर, यह बताया गया कि विभाग वास्तविक अवसंरचना के विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है जिसमें सड़क, जल आपूर्ति, जल निकासी, विद्युत आपूर्ति, बहिस्त्राव शोधन संयंत्र, दूरसंचार लाइनें, ठोस/हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन, भस्मक आदि शामिल हैं साथ ही इनके लिए प्रशासनिक भवनों, क्रेच/कैंटीन/छात्रावास/विश्राम एवं मनोरंजन केंद्र, श्रमिक सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली जैसी सुविधाएं शामिल हैं। चूंकि, भूमि की लागत कुल परियोजना लागत में शामिल नहीं है, इसलिए 40.00 करोड़ रुपये की सीमा उचित है। इसके अलावा, 10 अनुमोदित पार्कों में से केवल 4 पार्कों को अधिकतम 40.00 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है और शेष 6 पार्कों को उनकी कुल परियोजना लागत के आधार पर एक अनुमोदित अनुदान आवंटित किया गया है जो कुल परियोजना लागत का 50% है और 40.00 करोड़ रुपये से कम है। ऊपरी सीमा में किसी भी सूरत में ढील नहीं दी गई है।

19. अब तक अनुमोदित दस (10) प्लास्टिक पार्कों के संबंध में वर्तमान स्थिति निम्नानुसार दी गई है

क्रम सं.	**प्लास्टिक पार्क**	**प्लास्टिक पार्क के अनुमोदन की तिथि (डीओए) और प्लास्टिक पार्क की बिक्री की लक्षित तिथि**	**प्लास्टिक पार्क की स्थापना की तारीख**	**इसकी स्थापना के बाद से प्लास्टिक पार्क के उपयोगकर्ताओं की लगभग संख्या**	**प्लास्टिक पार्क की वर्तमान स्थिति**	**वह तारीख जिस तक प्लास्टिक पार्क के चालू होने की संभावना है**	**प्लास्टिक पार्क की स्थापना में देरी का कारण**	**समय की कमी के कारण परियोजना लागत में वृद्धि**	**प्लास्टिक पार्क की स्थापना में तेजी लाने के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं**
1.	तमोट, मध्य प्रदेश	डीओए: 09.10.2013 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 09.10.2016	सितंबर, 2020 (वास्तविक अवसंरचना के पूरा होने की तारीख)	04	कुल भूखंड – 172 कुल आवंटित- 16 कुल परिचालनरत- 04	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	निवेशकों की कम रूचि और पास में अन्य औद्योगिक क्षेत्रों की उपस्थिति	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि
2.	पारादीप, ओडिशा	डीओए: 09.10.2013 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 09.10.2016	दिसंबर, 2020 में लगभग 95% वास्तविक अवसंरचना को पूरा किया गया था	00	कुल भूखंड – 80 कुल आवंटित - 20 कुल परिचालनरत - 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	श्रमिक संघ आदि के कारण होने वाली विभिन्न समस्याओं के कारण निवेशकों की कम रूचि।	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि
3.	तिनसुकिया, असम	डीओए: 21.02.2014 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 21.02.2017	आज तक लगभग 80% वास्तविक अवसंरचना को पूरा कर लिया गया है	02	कुल भूखंड – 104 कुल आबंटित- 44 कुल परिचालनरत- 02	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	गुवाहाटी से परियोजना स्थल के दूर होने के कारण निवेशकों की ओर से कम रुचि।	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि

4.	देवघर, झारखंड	डीओए: 30.07.2019 (पुन: अनुमोदन) लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 30.07.2022	जनवरी, 2022 तक लगभग 60% वास्तविक अवसंरचना का काम पूरा हो चुका है। माननीय एनजीटी द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण विकास यथावत है।	00	कुल भूखंड – 65 कुल आबंटित- 01 कुल परिचालनरत- 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	माननीय एनजीटी द्वारा जनवरी, 2022 से पार्क स्थल के विकास पर प्रतिबंध लगाया गया	शून्य	एसपीवी ने प्रतिबंध के खिलाफ माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की है। इसने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि।
5.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	डीओए: 20.12.2018 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 20.12.2021	वर्तमान में लगभग 70% है।	00	कुल भूखंड – 107 कुल आबंटित- 02 कुल परिचालनरत- 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	निवेशकों की कम रूचि।	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि
6.	तिरुवल्लूर तमिलनाडु	डीओए: 20.12.2018 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 20.12.2021	वर्तमान में लगभग 40% है।	00	कुल भूखंड – 102 कुल आबंटित- 00 कुल परिचालनरत- 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	निवेशकों की कम रूचि।	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि
7.	सितारगंज, उत्तराखंड	डीओए: 30.12.2020 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 30.12.2023	वर्तमान में लगभग 30% है।	00	कुल भूखंड – 102 कुल आबंटित- 14 कुल परिचालनरत- 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि
8.	सरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़	डीओए: 13.04.2021 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से तीन साल अर्थात 13.04.2024	वर्तमान में लगभग 20% है।	00	कुल भूखंड – 55 कुल आबंटित- 00 कुल परिचालनरत- 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	परियोजना निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रगति पर है	शून्य	एसपीवी ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि
9.	गंजीमठ, कर्नाटक	डीओए: 21.01.2022 लक्षित तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से पांच साल अर्थात 21.01.2027	परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है।	00	कुल भूखंड – 53 कुल आवंटित - 00 कुल परिचालनरत - 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	कोई देरी नहीं	शून्य	एसपीवी पार्क का विकास कर रहा है और आगे विभिन्न कदम उठाने की योजना बना रहा है जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि।
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	डीओए: 13.07.2022 समाप्त होने की तिथि: अंतिम अनुमोदन की तारीख से पांच साल अर्थात 13.07.2027	परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है।	00	कुल भूखंड – 92 कुल आवंटित – 00 कुल परिचालनरत - 00	मार्च, 2026 (वह तारीख जिस पर 100% इकाइयों के कार्यात्मक होने की उम्मीद है)	कोई देरी नहीं	शून्य	एसपीवी पार्क का विकास कर रहा है और आगे विभिन्न कदम उठाने की योजना बना रहा है जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना, विभिन्न प्लेटफार्मों पर पार्क का विज्ञापन करना आदि।

20. जहां तक 10 प्लास्टिक पार्कों में से प्रत्येक के लिए किए गए बजट प्रावधानों का संबंध है और क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों में उनके कम उपयोग के कारण आवंटित धनराशि वापस कर दी गई थी, विभाग ने निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत की है:-

क्रम सं.	प्लास्टिक पार्क का स्थान	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	परियोजना के लिए भारत सरकार की ओर से कुल सहायता (करोड़ रुपये में)	अब तक जारी की गई भारत सरकार की ओर से सहायता (करोड़ रुपये में)
1.	तमोट, मध्य प्रदेश	108.00	40.00	35.90
2.	पारादीप, ओडिशा	106.78	40.00	36.00
4.	तिनसुकिया, असम	93.65	40.00	35.73
5.	देवघर, झारखंड	67.33	33.67	30.30
6.	बिलौआ, मध्य प्रदेश	68.72	34.36	30.91
3.	तिरुवल्लूर तमिलनाडु	216.92	40.00	22.00
7.	सितारगंज, उत्तराखंड	67.73	33.93	18.69
8.	सरोरा, रायपुर, छत्तीसगढ़	42.09	21.045	4.21
9.	गंजीमठ, कर्नाटक	62.78	31.38	शून्य
10.	गोरखपुर, उत्तर प्रदेश	69.58	34.79	शून्य

इसके अलावा, 10 पार्कों में से किसी के द्वारा भी कोई आवंटित निधि वापस नहीं की गई है।

21. प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की रफ्तार धीमी होने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर समिति को निम्नानुसार बताया गया है:

i. विभिन्न कारकों के कारण निवेशकों और उद्योग से कम ब्याज, जिनमें से कुछ सामान्य हैं और कुछ व्यक्तिगत पार्कों के लिए विशिष्ट हैं।
ii. कहीं-कहीं प्लास्टिक पार्कों के पास मल्टी मॉडल और मल्टी-यूसेज औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों का होना।
iii. कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंध आदि।

22. प्लास्टिक पार्कों की स्थापना से संबंधित कार्य में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा उठाए जा रहे उपचारात्मक कदमों के बारे में पूछे जाने पर, यह कहा गया है कि विभाग ने योजना के कार्यान्वयन में अपनी सीमित भूमिका के साथ इन प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति में तेजी लाने के लिए विभिन्न उपचारात्मक कदम उठाए हैं। जो नीचे उल्लिखित हैं:-

i. विभिन्न स्तरों पर बैठकों के माध्यम से पार्कों की प्रगति की निगरानी में वृद्धि।

ii. उद्योग संघों के साथ बैठकें की गई हैं ताकि उद्योग को योजना और पार्कों की क्षमता के बारे में संवेदनशील बनाया जा सके।

iii. प्लास्टिक पार्कों को बढ़ावा देने हेतु कार्यान्वयन एजेंसियों से कई अवसरों पर विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों, रोड शो आदि के दौरान इन पार्कों को विज्ञापित करने का अनुरोध किया जा रहा है। विभाग के अनुरोध पर, कई प्लास्टिक पार्कों ने हाल ही में आयोजित प्लास्ट इंडिया कार्यक्रम में भाग लिया, उद्योग के साथ संपर्क किया और अपने संबंधित पार्कों का विज्ञापन किया।

iv. योजना को और अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए नवंबर, 2020 में योजना दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है। योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित व्यापक संशोधन किए गए थे:

- ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के साथ ब्राउनफील्ड परियोजनाओं और मौजूदा प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों को मंजूरी देना।
- पट्टे और किराये के आधार पर भूखंडों का आवंटन।
- परियोजना को पूरा करने की समय-सीमा को 3 वर्ष की मौजूदा समय-सीमा से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है।

23. समिति ने पूछा की कि क्या उठाए गए कदमों से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति को तेज करने में मदद मिली है। उत्तर में, यह बताया गया है कि विभाग ने इन पार्कों के कार्यान्वयन को तेज करने में योगदान दिया है जो भूखंडों के आवंटन और इकाइयों के संचालन के बारे में आंकड़ों से स्पष्ट है। गत वित्तीय वर्षों के दौरान, बेहतर प्रगति प्राप्त करने के प्रयास किए गए थे और परिणामस्वरूप सभी पार्कों में लगभग 96 भूखंडों को आवंटित किया गया है और लगभग 6 इकाइयों का संचालन किया गया है।

(ii) उप योजना: उत्कृष्टता केन्द्रों (सीओई)की स्थापना की योजना

24. समिति को यह सूचित किया गया है कि एनएसपी के तहत एनएसपी यथा "एनएसपी के तहत उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना के लिए योजना" के तहत दूसरी उप-योजना का उद्देश्य नए उत्पादों के विकास, नए अनुप्रयोगों, नवाचार और प्रौद्योगिकी में सुधार, प्रसंस्करण में नवाचार, गुणवत्ता, पर्यावरण-हितैषी सतत विकास आदि में मदद करना है। सीओई से निर्यात के क्षेत्र में भारत के लिए ब्रांड छवि बनाने में भी मदद की उम्मीद है। इस परियोजना के माध्यम से संस्थान उद्योगों के साथ संवाद कर पाएंगे और

पेट्रोरसायन उद्योग के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए उन्हें अपने शोध निष्कर्ष, विशेषज्ञता आदि को सौंप सकेंगे। विभाग ने अब तक 13 सीओई को मंजूरी दी है।

25. सीओई की अवधारणा, उनके उद्देश्यों और लक्ष्यों के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहे जाने पर, यह सूचित किया गया है कि प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करके पेट्रोकेमिकल्स और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देते हुए यह योजना केंद्र में स्थापित विभिन्न सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और कौशल की सुविधा प्रदान करती है। सीओई के विशिष्ट उद्देश्य निम्नवत हैं: –

क) राष्ट्रीय नीति में चिह्नित विशिष्ट क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना और चिह्नित क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधि के लिए एक क्षमता केंद्र बनाना।

ख) आर एंड डी, उत्पाद और प्रक्रिया विकास, प्रक्रिया उपकरण चयन, परीक्षण सुविधा, उद्योग के लिए प्रशिक्षण के लिए शुरू करना

ग) पेटेंट को भरने के माध्यम से आर एंड डी और अन्य गतिविधियों के परिणामों को प्रसारित करना, अनुसंधान प्रस्ताव को व्यावसायिक प्रस्ताव में बदलना, निवेश करना और व्यावसायीकरण करना;

घ) समाज के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी परामर्श प्रदान करने और स्टार्ट-अप उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने के लिए सक्षम कुशल जनशक्ति का निर्माण करना।

ङ) पेट्रोरसायन क्षेत्र के लाभ के लिए शैक्षिक जगत और उद्योग के बीच संबंध विकसित करने के लिए।

26. आगे यह बताया गया है कि अब तक अनुमोदित कुछ सीओई अपने निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों में सफल रहे हैं, जबकि कुछ अभी भी कार्यान्वयन के अधीन हैं और उनमें अनुसंधान और प्रशिक्षण कार्य चल रहा है।

27. समिति यह जानना चाहती थी कि पहला सीओई कब स्थापित किया गया था और क्या अब तक अनुमोदित 13 सीओई अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं। उत्तर में, यह कहा गया है कि पहले सीओई को 01.04.2011 को केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), चेन्नई में

अनुमोदित किया गया था। तब से दिसंबर, 2020 तक 10 और सीओई को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, विभाग ने वर्ष 2025-26 तक 11 नए सीओई स्थापित करने के लिए स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) का अनुमोदन प्राप्त किया है और तदनुसार फरवरी, 2022 में 2 नए सीओई को मंजूरी दी है, जिससे सीओई की कुल संख्या 13 हो गई है। सभी सीओई की सूची उनके स्थान के साथ निम्नानुसार दी गई है:

क्र. सं.	**संस्थान**	**सीओ ई का नाम**	**अनुमोदन की तिथि**
1.	सिपेट, चेन्नई, तमिलनाडु	ग्रीन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ग्रीट)	अप्रैल, 2011
2.	सीएसआईआर-राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला (एनसीएल), पुणे, महाराष्ट्र	अनुसंधान और नवाचार के लिए सतत पॉलिमर उद्योग	अप्रैल, 2011
3.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली, दिल्ली	उन्नत पॉलिमर सामग्री	मार्च, 2013
4.	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट), भुबनेश्वर, ओडिशा	सस्टेनबल ग्रीन मटेरियल	अप्रैल, 2013
5.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी, असम	सतत पॉलिमर (ससपोल)	अप्रैल, 2013
6.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), रूड़की, उत्तराखंड	पेट्रोरसायन उद्योग में प्रक्रिया विकास, अपशिष्ट जल प्रबंधन	फरवरी, 2019
7.	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुबनेश्वर, ओडिशा	बायो-इंजीनियर्ड सस्टेनेबल पॉलीमेरिक सिस्टम्स	फरवरी, 2019
8.	राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला , पुणे, महाराष्ट्र	अनुकूलित योजक विनिर्माण के लिए विशेष पॉलिमर	फरवरी, 2019
9.	सीएसआईआर - उत्तर- पूर्व विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-एनईआईएसटी), जोरहाट, असम	पेट्रोलियम उद्योग के सतत विकास के लिए पॉलिमर, उनके संघटक और पॉलिमर झिल्ली	दिसंबर, 2020
10.	सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी), हैदराबाद, तेलंगाना	सजावटी, सुरक्षात्मक और सामरिक अनुप्रयोगों के लिए पॉलिमर कोटिंग्स	दिसंबर, 2020
11.	केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, भुबनेश्वर, ओडिशा	अगली पीढ़ी के बायो-मेडिकल उपकरणों का विनिर्माण	दिसंबर, 2020
12.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गुवाहाटी, असम	पॉलिमर-खिलौने का सतत और अभिनव डिजाइन एवं निर्माण (एसयूएनडीएआर - खिलौने)	फरवरी, 2022
13.	इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन,(आईआरएमआरए), ठाणे, महाराष्ट्र	रबर और संबद्ध तैयार उत्पादों के मूल्य वर्धित खिलौनों के लिए डिजाइन और विकास	फरवरी, 2022

28. यह पूछे जाने पर कि क्या डीसीपीसी द्वारा अनुमोदित सभी 13 सीओई आज की तारीख में कार्य कर रहे हैं, विभाग ने कहा है कि अब तक अनुमोदित 13 सीओई में से, अनुमोदित 5 सीओई वर्ष 2011 से 2013 की अवधि में पूरे हो गए हैं और चूंकि उन्होंने वांछित परिणाम और परियोजना अवधि प्राप्त कर ली है, इसलिए विभाग वर्तमान में उनकी निगरानी नहीं कर रहा है। वर्ष 2019 से 2020 की अवधि में अनुमोदित 6 सीओई वर्तमान में कार्यात्मक हैं और वर्ष 2022 में अनुमोदित दो नए सीओई अभी तक शुरू नहीं हुए हैं।

29. समिति ने जानना चाहा कि क्या सीओई पेट्रोरसायन उद्योग के लिए फलदायी योगदान दे रहे हैं और भविष्य में उद्योग के लिए आवश्यक मार्गदर्शन / प्रौद्योगिकी / विशेषज्ञता प्रदान की है। इसके उत्तर में विभाग ने कहा है कि नई प्रौद्योगिकियों, पेटेंटों, अनुसंधान प्रकाशनों, सीओई और संगठन से निकलने वाले कुशल कार्यबल और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में भागीदारी के रूप में अनुसंधान परिणामों ने पेट्रोरसायन उद्योग के विकास में योगदान दिया है और भविष्य में भी ऐसा करना जारी रखेगा। विभाग उद्योग और शैक्षिक जगत को नियमित रूप से बातचीत करने हेतु एक मंच प्रदान करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा है ताकि ये दोनों उद्योग की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग कर सकें। ऐसी ही एक पहल "इंडस्ट्री कनेक्ट विद सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" विभाग द्वारा मई, 2022 में आयोजित की गई थी। भविष्य में विभाग ऐसे कई कार्यक्रम करने की योजना बना रहा है।

(iii) उप योजना: पेट्रोकेमिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन कमेंडेशन स्कीम (पूर्व नाम रासायनिक संवर्धन और विकास योजना)

30. एनएसपी के अंतर्गत तीसरी उप-योजना अर्थात् "पेट्रोरसायन अनुसंधान और नवाचार प्रशंसा योजना" जिसे पहले "रासायनिक संवर्धन और विकास योजना (सीपीडीएस)" के रूप में नामित किया गया था के संबंध में, विभाग ने सूचित किया है कि यह पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवाचारों और आविष्कारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए पुरस्कार योजना कार्यान्वित कर रहा है और वर्ष 2010-11 से इस योजना के तहत पुरस्कार दिए जा रहे हैं। अब तक ये राष्ट्रीय पुरस्कार ग्यारह से अधिक संस्करणों के लिए दिए गए हैं और केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) को पुरस्कारों को लागू करने और विज्ञापन, आवेदनों की प्राप्ति और जांच आदि जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं की देखरेख करने का कार्य सौंपा गया है।

31. राष्ट्रीय पेट्रोकेमिकल्स पुरस्कार योजना के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहे जाने पर विभाग ने उत्तर दिया है कि इस पुरस्कार योजना में पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में मेधावी नवाचारों और आविष्कारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करके पेट्रोरसायन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास एवं नवाचारों को बढ़ावा देने की परिकल्पना की गई है। यह योजना दिनांक 26-

04-2007 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित पेट्रोरसायनों के लिए नीति संकल्प के आधार पर तैयार की गई थी।

32. वर्ष 2010-11 से पेट्रोरसायन और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग के क्षेत्र में दिए गए पुरस्कारों की संख्या के संबंध में, विभाग ने वर्ष 2010-11 से पुरस्कार प्राप्त करने वालों की संख्या का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया है:-

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**विजेताओं की संख्या**	**उप-विजेताओं की संख्या**
पहला	2010-11	09	शून्य
दूसरा	2011-12	15	10
तीसरा	2012-13	11	08
चौथा	2013-14	17	06
पाँचवा	2014-15	16	14
छठा	2015-16	17	14
सातवाँ	2016-17	16	07
आठवाँ	2017-18	07	08
नौवां	2018-19	06	07
दसवां	2019-20	04	09
ग्यारहवां	2020-21	05	06

33. समिति को सूचित किया गया है कि वर्तमान में गृह मंत्रालय के निर्देशों पर योजना की समीक्षा की जा रही है और इसे निर्देशों के अनुसार बंद या रूपांतरित किया जा सकता है। वर्तमान में, इसे संशोधित किया गया है और इसका नाम बदलकर "पेट्रोकेमिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन कमेंडेशन स्कीम" कर दिया गया है। किए गए कुछ प्रमुख संशोधन निम्नानुसार हैं : –

खंड	**पुराने दिशानिर्देश**	**संशोधित दिशानिर्देश**
योजना का नाम	राष्ट्रीय पेटरोरसायन पुरस्कार	पेट्रोकेमिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन कमेंडेशन
पुरस्कार राशि	प्रत्येक विजेता को तीन लाख रुपये और उपविजेता को एक लाख रुपये	कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा और इसके बजाय केवल एक प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किया जाएगा
विशेषज्ञ समिति और उसके सभापति	विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता महानिदेशक, सिपेट करेंगे।	समिति को अब जांच समिति के रूप में जाना जाएगा, जिसमें संयुक्त सचिव (पीसी) इसके

		सभापति और कार्यान्वयन संस्थान के डीजी / निदेशक सदस्य सचिव के रूप में होंगे।
पुरस्कार प्रदान करने संबंधी समिति (पीएसी) और इसके सभापति	पीएसी की अध्यक्षता संयुक्त सचिव (पीसी) करेंगे।	समिति को अब सिफारिश अनुमोदन समिति (सीएसी) के रूप में जाना जाएगा और इसकी अध्यक्षता सचिव (सी एंड पीसी) द्वारा की जाएगी।
पुरस्कार विजेताओं को टीए/डीए	प्राप्तकर्ताओं को कोई टीए/डीए प्रदान नहीं किया जाएगा।	प्राप्तकर्ताओं की यात्रा और भोजन एवं आवास से संबंधित खर्च कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रदान किए जाएंगे।
लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए श्रेणी	पेट्रोरसायन और संबद्ध क्षेत्रों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए एक अलग विशेष पुरस्कार (स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र के साथ 5 लाख रुपये का नकद पुरस्कार)।	पेट्रोरसायन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी के साथ इस श्रेणी को हटा दिया गया है।

34. समिति को यह भी बताया गया है कि वर्ष 2020-21 के लिए रकम की अदायगी का आदेश 27.09.2022 को दिये गए थे और योजना दिशानिर्देशों में संशोधन के कारण वर्ष 2021-22 के लिए रकम की अदायगी का आदेश नहीं दिये गए हैं। विभाग अब वर्ष 2023-24 में वर्ष 2021-22 में हासिल उपलब्धियों के लिए प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत करेगा। संशोधित योजना में विभाग और सिपेट की भूमिका में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है।

ख. केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट)

35. केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) एक स्वायत्त निकाय है जिसे पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान जारी किया जा रहा है। विभाग सिपेट की सिविल और तकनीकी अवसंरचना, अनुसंधान और विकास क्षमताओं और शैक्षणिक और प्रशिक्षण पहलों को मजबूत करने और छात्रावासों के निर्माण और नए सिपेट केंद्रों की स्थापना के लिए बजटीय सहायता प्रदान करता है। सिपेट रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग, भारत सरकार के तहत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है। जो पूरी तरह से प्लास्टिक के सभी क्षेत्रों अर्थात डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलिंग और मोल्ड निर्माण, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं, अकादमिक और अनुसंधान (एसटीएआर) के लिए समर्पित है। सिपेट के देश भर में फैले 46 केंद्र हैं जिनमें 8 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी), 31 कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस) , 3 स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलिमर (एसएआरपी) और 04 उप-केंद्र शामिल हैं।

36. पिछले तीन वित्तीय वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सिपेट को जारी किए गए अनुदान का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर और क्या इस प्रकार जारी किए गए अनुदान का सिपेट द्वारा इष्टतम उपयोग किया गया था इसके उत्तर में, विभाग ने निम्नानुसार विवरण प्रस्तुत किए हैं:

वर्ष	**ब.अ.**	**सं.अ.**	**वास्तविक**
2020-21	98.25	146.30	146.30
2021-22	117.88	102.34	94.53
2022-23	100.24	63.81	63.81
2023-24	92.88	-	-

37. समिति ने आज की तारीख में निर्माणाधीन सिपेट केन्द्रों के बारे में जानना चाहा। उत्तर में, निम्नानुसार जानकारी दी गई है:

<u>सिपेट केंद्र:</u>

क्रम सं.	**सिपेट केंद्र का नाम**	**राज्य का नाम**	**आरंभ होने की तारीख-कॉन्स्ट्र-क्शन का प्रभाव**	**लक्षित तिथि**	**लक्षित तिथि में पूरा हुआ या नहीं**	**देरी का कारण**	**समय की अधिकता के कारण अनुमानित लागत वृद्धि**	**पूरा होने की अपेक्षित तिथि**	**इस तरह की देरी से बचने के लिए उठाए गए कदम**
1	सिपेट: सीएसटीएस, ग्वालियर	मध्य प्रदेश	02.01.2019	जुलाई 2020	नहीं	भौगोलिक स्थिति के कारण निर्माण लागत में 8.76 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। एमपीआईडीसी (निर्माण एजेंसी) को एमपीआईडीसी (निर्माण एजेंसी) को अतिरिक्त निधि (8.76 करोड़ रुपये) प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के बाद शैक्षणिक भवन और अन्य अवसंरचना को पूरा किया जाएगा।	--	मई 2023 (टीएसएस बिल्डिंग)	अतिरिक्त निधियां प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ फॉलो अप

2	सिपेट: सीएसटीएस, बद्दी	हिमाचल प्रदेश	19.05.2020	नवंबर 2021	नहीं	शैक्षणिक ब्लॉक के निर्माण की कुल लागत लगभग 26.36 करोड़ होगी। निधियों की कमी के कारण परियोजना में देरी	--	अगस्त 2023	राज्य सरकार ने 5.15 करोड़ रुपये के कुल घाटे में से 2.57 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि प्रदान की है।
3	सिपेट: सीएसटीएस, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	01.06.2020	दिसंबर 2021	नहीं	निर्माण की अधिक लागत के लिए 6.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी है। उपरोक्त निधि प्राप्त होने के बाद एक माह के भीतर निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।	--	जून 2023	अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के साथ निम्नलिखित
4	सिपेट: सीएसटीएस, रांची	झारखंड	26.10.2020	अप्रैल 2022	नहीं	राज्य सरकार द्वारा कोविड दिशानिर्देशों के कारण निर्माण गतिविधियों को लगभग 8 महीने के लिए रोक दिया गया था। निर्माण के लिए नदी रेत की आपूर्ति न होना क्योंकि इसे राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। सीपीडब्ल्यूडी द्वारा नियुक्त ठेकेदार की जनशक्ति संबंधी मुद्दों के कारण विलंब।	--	जुलाई 2023	सीपीडब्ल्यूडी के साथ लगातार बैठक और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद काम में तेजी आई।
5	सिपेट: सीएसटीएस, भागलपुर	बिहार	02.04.2022	मार्च (*) 2023	-		--	अक्टूबर 2023	
6	सिपेट: आईपीटी, बिहटा	बिहार	25.10.2022	मार्च (*) 2023	-		--	अप्रैल'24	

(*) समयावधि को 2025-26 तक बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रालय को प्रस्तुत कर दिया गया है।

38. यह पूछे जाने पर कि सिपेट ने देश में कौशल विकास में किस प्रकार योगदान दिया है, विभाग ने कहा है कि सिपेट नियमित रूप से विभिन्न मंत्रालयों/राज्य कौशल विकास मिशन/सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/निजी संगठनों के सहयोग से कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है ताकि देश भर में अपने संबंधित लक्षित समूह/लाभार्थियों के वंचित/बेरोजगार युवाओं के लाभ के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें। इन लाभार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण मिल रहा है और प्रशिक्षण के सफल समापन पर उन्हें पेट्रोरसायन/प्लास्टिक और संबद्ध उद्योगों में बेहतर पारिश्रमिक के साथ लाभकारी रोजगार मिल रहा है।

39. समिति ने यह भी जानना चाहा कि उनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में सिपेट के 46 केन्द्रों में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया और कितने छात्र वास्तव में योग्य हुए और कितने उपयुक्त रोजगार खोजने में सक्षम थे। उत्तर में, भर्ती/योग्य/नियोजित उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**भर्ती किए गए उम्मीदवारों की संख्या**	**प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या** (एसयूपी +एसडीटीपी)	**नियोजित उम्मीदवारों की संख्या (प्लेसमेंट का%)**
2020-21	29,581	29,465 (26998 + 2467)	1886 (76.44%)
2021-22	34,208	34,027 (26140 + 7887)	6018 (76.30%)
2022-23 (जनवरी 2023 तक)	36,536	36,422 (25593 + 10829)	8246 (76.14%)

एसयूपी - कौशल उन्नयन कार्यक्रम

एसडीटीपी – कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम

40. इसके अलावा, सिपेट केंद्रों में आयोजित दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद नामांकित और रखे गए उम्मीदवारों का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	**नामांकित उम्मीदवारों की संख्या**	**क्वालिफ़ाई करने वाले उम्मीदवारों की संख्या (अंतिम सेमेस्टर)**	**नियोजित उम्मीदवारों की संख्या (प्लेसमेंट का%)**
2020-21	13297	4263	91 (3563)
2021-22	13494	4502	90 (3932)
2022-23	11972	220*	जाने पर

*वर्ष 2022-23 के लिए - सीएडी/सीएएम 11/2 वर्ष के साथ पीडी-पीएमडी जनवरी 2023 के महीने में सफल हो गया है, बाकी पाठ्यक्रम जुलाई 2023 में पूरे हो जाएंगे।

41. यह पूछे जाने पर कि क्या सिपेट अपने विभिन्न पाठ्यक्रमों को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्लेसमेंट सेवाएं भी प्रदान कर रहा है, विभाग ने बताया कि सिपेट दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों और अल्पकालिक पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्लेसमेंट सेवाएं प्रदान करता है। प्लेसमेंट सेवाओं के एक भाग के रूप में, सिपेट प्रशिक्षुओं के कौशल में सुधार के लिए पूर्व-प्लेसमेंट प्रशिक्षण आयोजित करता है। सिपेट केंद्रों में प्लेसमेंट गतिविधियों के लिए समर्पित प्लेसमेंट अधिकारियों के साथ प्लेसमेंट सेल होता है। इसके अलावा, दीर्घकालिक प्रशिक्षुओं की प्लेसमेंट गतिविधियों की सहायता और निगरानी के लिए सिपेट प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत प्लेसमेंट सेल स्थित है।

ग. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडबल्यूएमसी)

42. समिति को बताया गया है कि चार (04) सिपेट केंद्रों - अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में से प्रत्येक में एक-एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र (पीडब्लूएमसी) की स्थापना सिपेट के अंतर्गत एक परियोजना है। इस संबंध में बेंगलुरू, वाराणसी, पटना और अहमदाबाद में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (पीडब्ल्यूएमसी) की स्थापना के लिए ईपीआर दिशानिर्देशों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई थी।

43. यह पूछने पर कि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (पीडब्लूएमसी) की स्थापना के लिए प्रस्ताव कब बताया गया था और सैद्धांतिक अनुमोदन कब प्राप्त किया गया था और यह भी कि पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए काम कब शुरू किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर में बताया है कि अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी में पीडब्लूएमसी की स्थापना के प्रस्ताव पर 21.10.2019 को सचिव (सी एंड पीसी) की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और इसे विभाग द्वारा 20.12.2019 को अनुमोदित किया गया था। प्रत्येक पीडब्लूएमसी का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

44. पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए निर्धारित लक्ष्यों और पीडब्ल्यूएमसी के स्थापित होने और पूरी तरह कार्यात्मक होने की संभावना के संबंध में, पीडब्लूएमसी की स्थापना का लक्ष्य निम्नानुसार बताया गया है:

- विभिन्न प्लास्टिक के बीच बेहतर संगतता के साथ उत्पाद विकास के लिए प्रसंस्करण की स्थिति को अनुकूलित करने के लिए।

- प्लास्टिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित जनशक्ति विकसित करना।
- प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उपायों को बढ़ावा देना।
- उद्यमियों और स्टार्ट-अप उद्यमों को बढ़ावा देना।
- आर्थिक पहलू के लिए उत्पाद विकसित करना।
- विकसित पैलेट की पुनर्चक्रणीयता का आकलन करना।

45. साथ ही यह बताया गया कि पीडब्लूएमसी के 31.03.2024 तक स्थापित होने और पूरी तरह कार्यात्मक होने की उम्मीद है।

46. समिति ने पीडब्लूएमसी की स्थापना में अत्यधिक विलंब की ओर भी इशारा किया और इसके कारणों को जानना चाहा। उत्तर में, यह बताया गया है कि सिपेट ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को संशोधित किया था, जिसे 28.06.2022 को डीसीपीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है। संशोधित एसओपी और डीपीआर को आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित सिपेट केंद्र अर्थात हाजीपुर, वाराणसी, बेंगलुरु और अहमदाबाद को परिचालित किया गया है। प्रारंभ में, प्रत्येक पीडब्ल्यूएमसी के लिए 5 एकड़ भूमि प्रस्तावित थी; तथापि, संशोधित एसओपी के अनुसार, राज्य सरकार को पीडब्ल्यूएमसी के प्रचालन के लिए आवश्यक विद्युत, जल और अन्य सिविल अवसंरचना के साथ 4000 वर्गमीटर के पूर्वनिर्मित शेड के साथ-साथ 2 से 3 एकड़ भूमि निशुल्क/पट्टे पर उपलब्ध करानी होती है। प्रत्येक पीडब्लूएमसी प्रदर्शनकारी मोड पर काम करेगा।

47. विभाग ने यह भी बताया है कि सिपेट केंद्रों ने उपयुक्त 2-3 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए अनुमोदित संशोधित एसओपी और डीपीआर संबंधित राज्य सरकार के संबंधित विभाग को प्रस्तुत कर दी है। पीडब्लूएमसी के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि का आबंटन और वित्तीय सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए, और देरी से बचने के लिए मौजूदा सिपेट परिसरों में पीडब्ल्यूएमसी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सिविल और तकनीकी अवसंरचना दोनों पर पूरा खर्च भारत सरकार (5.4 करोड़, 90%) और सिपेट सेंटर (0.6 करोड़, 10%) द्वारा वहन किया जाएगा, जैसा कि पहले 6 करोड़ के परियोजना अनुमान के अनुसार था। सिपेट केंद्र में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए संशोधित एसओपी और डीपीआर सिपेट द्वारा तैयार की जा रही है।

48. इस संदर्भ विभाग के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया: –

"... हमें विभिन्न राज्य सरकारों से भूमि नहीं मिल पाई है। साथ ही, हमने कुल मिलाकर कम खर्च के लिए भी कहा। जब भी हम किसी राज्य में अपने कार्यकलापों का विस्तार करते हैं, तो हम राज्य सरकार से समान अंशदान के साथ-साथ अपेक्षित भूमि की भी मांग करते हैं। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केन्द्रों के लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर बहुत प्रयास कर रहे हैं। हमें जमीन नहीं मिल पाई है। अब हम अपनी रणनीति बदल रहे हैं। राज्य सरकार से भूमि मांगने के बजाय, हमने सोचा कि हम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन में सक्रिय हो सकते हैं, आम तौर पर अपशिष्ट प्रबंधन नगरपालिका निगम के पास होता है। लेकिन हमने सोचा कि उस सक्रिय भूमिका के बजाय, हम सिपेट केंद्र परिसर के भीतर प्रदर्शन इकाइयां रख सकते हैं, ताकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में कुछ किया जा सके। इसलिए, हम इसके संबंध में अपनी रणनीति बदल रहे हैं। कई स्थानों पर जहां हम राज्य सरकारों से भूमि का आबंटन करने के लिए कह रहे हैं, वे ऐसी भूमि उपलब्ध कराते हैं जो प्रदर्शन केन्द्र अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उपयुक्त नहीं है। एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो प्रशिक्षण, शैक्षणिक कार्य, अनुसंधान और विकास कार्य के लिए उपयुक्त हो और जहां पेशेवर भी रह सकें। अगर यह किसी दूरस्थ क्षेत्र में कहीं है, तो यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार, वे हमें औद्योगिक क्षेत्र में जगह प्रदान करते हैं। यह भी ठीक है। लेकिन यह क्षेत्र बहुत दूरस्थ भी नहीं होना चाहिए।

घ. पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्र (पीसीपीआईआर)

49. समिति को बताया गया कि भारत सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति अधिसूचित की थी। पीसीपीआईआर बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से रासायनिक और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देता है। पीसीपीआईआर की अवधारणा बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की। अब तक चार (4) पीसीपीआईआर अधिसूचित किए गए हैं जो हैं- (i) वर्ष

2009 में अधिसूचित गुजरात (दाहेज), (ii) वर्ष 2009 में अधिसूचित आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), (iii) वर्ष 2010 में अधिसूचित ओडिशा (पारादीप) और (iv) तमिलनाडु (कुड्डोलूर और नागपट्टिनम)।

50. यह भी बताया गया है कि एक बार पूरी तरह से स्थापित होने के बाद, इन चार पीसीपीआईआर से लगभग 7.63 लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। राज्य सरकारों से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इन क्षेत्रों में लगभग 2.12 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। चार पीसीपीआईआर से लगभग 33.83 लाख लोगों के लिए रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। पीसीपीआईआर से संबंधित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गतिविधियों में लगभग 3.50 लाख व्यक्तियों को नियोजित किया गया है।

51. यह भी बताया गया कि, प्रत्येक पीसीपीआईआर एक विशेष रूप से चित्रित निवेश क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल लगभग 250 वर्ग किमी है (प्रसंस्करण गतिविधियों के लिए लगभग 40% क्षेत्र निर्धारित है)। पीसीपीआईआर सामान्य अवसंरचना और समर्थन सेवाओं के उपयोग के माध्यम से को-सिटिंग, नेटवर्किंग और अधिक दक्षता का लाभ उठाते हैं। पीसीपीआईआर की अवधारणा व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल उच्च श्रेणी के अवसंरचना और प्रतिस्पर्धी वातावरण प्रदान करने के लिए की जाती है। पीसीपीआईआर का उद्देश्य विनिर्माण को बढ़ावा देना, निर्यात में वृद्धि करना और रोजगार का सृजन करना है।

52. पीसीपीआईआर नीति, 2007 के तहत, भारत सरकार संबंधित मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के तहत रेल, सड़क (राष्ट्रीय राजमार्ग), बंदरगाहों, हवाई अड्डों और दूरसंचार सहित पीसीपीआईआर के लिए अवसंरचना के विकास के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन संगठन भी आंतरिक अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। तथापि, यह विभाग पीसीपीआईआर के लिए कोई बजटीय आबंटन नहीं करता है। बताया गया है कि पीसीपीआईआर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

53. यह पूछे जाने पर कि पीसीपीआईआर ने देश में रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने में कैसे मदद की है, विभाग ने उत्तर दिया है कि पीसीपीआईआर ने रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने में योगदान दिया है जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

सूचक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भरूच	विशाखापत्तनम-काकीनाडा	पारादीप
एमएमटीपीए में रिफाइनरी/क्रैकर क्षमता	क्रैकर: एथिलीन:1.1 प्रोपाइलीन:0.6	अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी)।
किया गया निवेश (करोड़ रुपये में)	1,24,363	18,850	73,518
रोजगार सृजित (सं.)	2,38,000	1,41,338	54,158

54. यह पूछे जाने पर कि क्या वर्ष 2007 में तैयार की गई पीसीपीआईआर नीति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम रही है, विभाग ने एक लिखित उत्तर में बताया है कि जिस उद्देश्य के लिए पीसीपीआईआर की स्थापना की गई थी, उसे व्यापक रूप से हासिल कर लिया गया है। तथापि, पीसीपीआईआर में निवेश और इसके परिणामस्वरूप रोजगार सृजन के लिए अभी भी पर्याप्त गुंजाइश है। इस उद्देश्य के लिए, पीसीपीआईआर में निवेश को आकर्षित करने के लिए, विभाग उद्योग संघों के सहयोग से नियमित रूप से रोड शो आयोजित कर रहा है। विभाग इन पीसीपीआईआर में निवेश को बढ़ावा देने और आकर्षित करने के लिए "इंडिया केम" और "ग्लोबल केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया" नामक मेगा द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

55. चार पीसीपीआईआर के संबंध में वर्तमान स्थिति नीचे दी गई है: –

संकेतक	गुजरात	आंध्र प्रदेश	ओडिशा
स्थान/क्षेत्र	दाहेज, भरूच	विशाखापत्तनम-काकीनाडा	पारादीप
अनुमोदन की तारीख	फरवरी, 2009	फरवरी, 2009	दिसम्बर, 2010
कुल क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)	453.00	640.00	284.15

प्रसंस्करण क्षेत्र (वर्ग कि.मी.)	248.00	270.00	123.00
एंकर टेनेंट	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड (ओपीएएल)	-	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)
रिफाइनरी/क्रैकर की एमएमटीपीए में क्षमता	क्रैकर: एथिलीन: 1.1 प्रोपलीन: 0.6	-	15 (ग्रीनफील्ड रिफाइनरी).
एंकर परियोजना की स्थिति	मार्च, 2017 में शुरू किया गया	-	फरवरी, 2016 में कमीशन किया गया
वीजीएफ के रूप में भारत सरकार का हिस्सा (करोड़ रुपए)*	80.50	1206.80	716.00
किया गया निवेश (करोड़ रु.)	1,24,363	18,850	73,518
सृजित रोजगार (सं.)	2,38,000	1,41,338	54,158
मास्टर प्लान अधिसूचना की स्थिति	विकास योजना स्वीकृत।	क्षेत्र अध्ययन, ग्राम स्तर परविचार-विमर्शपूर्ण। एंकर यूनिट द्वारा क्रैकर कॉम्प्लेक्स आदि के स्थान, कन्फीग्रेशन और क्षमता को अंतिम रूप देने के बाद, मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जाएगा।	मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।

ईआईए की स्थिति	पर्यावरण मंजूरी और कोस्टल रीजन जोन प्राप्त।	पर्यावरणीय मंजूरी, ईआईए अध्ययन, बेसलाइन डेटा का संग्रह आदि पूरा हो गया है। क्रैकर कॉम्प्लेक्स के स्थान, कन्फीग्रेशन और क्षमता के आधार पर मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने के बाद जन सुनवाई आयोजित की जाएगी और पर्यावरण मंजूरी के लिए प्रक्रिया की जाएगी।	पर्वावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन द्वारा जारी नए नियम एवं शर्तों के आधार पर ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया गया है और इसे जगतसिंहपुर और केंद्रपाड़ा जिले में सुनवाई के संचालन के लिए ओडिशा एसपीसीबी को बताया गया है। • दोनों जिलों के लिए जन सुनवाई पूरी हो चुकी है और अंतिम व्यापक ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने का काम प्रगति पर है।

<u>तमिलनाडु पीसीपीआईआर की स्थिति:</u>

- कुड्डालोर और नागपट्टिनम जिलों के 45 गांवों में कवर की गई लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित पीसीपीआईआर के लिए सरकारी आदेश (एमएस) संख्या 108, एच एंड यूडीडी, दिनांक 20.06.2017 द्वारा "स्थानीय नियोजन क्षेत्र" के रूप में घोषित किया गया था।
- तमिलनाडु सरकार ने दिनांक 21.02.2020 के सरकारी आदेश(एमएस) संख्या 36, एच एंड यूडीडी द्वारा "स्थानीय नियोजन क्षेत्र" की घोषणा को रद्द कर दिया है और इसे दिनांक 21.02.2020 के तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।

56. इसी तरह के एक प्रश्न पर, साक्ष्य के दौरान विभाग के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया:

'हमारे देश में रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2007 में अधिसूचित एक नीति और योजना है जो एक क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण है। हमारे पास चार पीसीपीआईआर क्षेत्र हैं - गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु। गुजरात में, कुल क्षेत्रफल 453 किमी था; ओडिशा में, 284; आंध्र में, 640; और तमिलनाडु में, 257। गुजरात में

अब तक 1,24,363 करोड़ रुपये का निवेश किया गया था। ओडिशा में, यह 47,000 करोड़ रुपये था; आन्ध्र प्रदेश में यह 15,081 करोड़ रुपये था; और तमिलनाडु में, यह 8,100 करोड़ रुपये था। गुजरात में रोजगार सृजन 2.38 लाख था; ओडिशा में, यह 54,000 था; आंध्र में – 1,51,338; और तमिलनाडु में लगभग 14,000। पीसीपीआईआर क्षेत्रों में निवेश बहुत अधिक नहीं है, लेकिन विभाग निवेश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे रोड शो, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सेमिनारों कर रहा है और आगे बढ़ रहा है।

57. प्रतिनिधि ने आगे यह भी जोड़ा:

"..... इसने सभी स्थानों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, एक गुजरात को छोड़कर जहां इसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अन्य स्थानों पर, यह कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। मुख्य कारणों में से एक भूमि है। हमने लगभग 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र अधिसूचित किया था। भूमि दुर्लभ है। भूमि का अधिग्रहण करना और इसे औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अधिसूचित करना, विशेष रूप से रसायन और पेट्रोरसायन के लिए, एक चुनौती बन जाता है। संबंधित मुद्दा एंकर प्लांट है जो वहां होना चाहिए जो विभिन्न रासायनिक उद्योगों के लिए फीड स्टॉक प्रदान करेगा। हम सभी स्थानों पर भूमि को अधिसूचित नहीं कर पाए हैं। यह भी हमारे लिए एक चुनौती बन जाता है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमें इतने बड़े क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है। हमें छोटे क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे पहले, हमने 50 वर्ग किलोमीटर के बारे में सोचा था जिसे सामान्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन अब महत्वपूर्ण हितधारकों, विशेष रूप से राज्य सरकार, जहां बहुत सारे रासायनिक उद्योग हैं, के साथ परामर्श करने के बाद, वे कह रहे हैं कि 50 वर्ग किलोमीटर भी एक बड़ा क्षेत्र है; हमें 5000 एकड़ कि ओर जाना चाहिए जहां हम सामान्य अवसंरचना सुविधाएं प्रदान कर सकें। इससे हमें रासायनिक उद्योग को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। यह स्पष्ट है कि हमें एक पार्क या छोटे अधिसूचित क्षेत्र की आवश्यकता क्यों है। रासायनिक उद्योग प्रदूषणकारी उद्योग है और इसे छोटे क्षेत्र पर करने की आवश्यकता है; यह हर जगह होने की जरूरत नहीं है।

V. अन्य मुद्दे

(i) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश

58. साक्ष्य के दौरान, डीसीपीसी के एक प्रतिनिधि ने विभिन्न रसायनों के गुणवत्ता नियंत्रण के संबंध में निम्नानुसार बताया:

> *"..... महोदय, रसायनों की गुणवत्ता बहुत महत्वपूर्ण है और यह एक तरीका है जिससे हम गुणवत्ता सुनिश्चित कर सकते हैं। यह एक अनियमित क्षेत्र है, भले ही उनमें मिलावट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यह संभव है कि हमें नकली रसायन मिलें। इस कारण से, हमें कुछ मानकों की आवश्यकता है। कार्यान्वयन के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्हें लागू किया जाता है, हमारे पास गुणवत्ता नियंत्रण आदेश होने चाहिए। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है। हम बहुत सीमित संख्या में गुणवत्ता नियंत्रण करने में सक्षम रहे हैं लगभग 61 ऑर्डर का। लेकिन हमारे पास बड़ी संख्या में रसायन हैं। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की आवश्यकता है कि हमें बाजार में गुणवत्ता वाले रसायन मिलें। हम उपभोक्ता मामलों के विभाग, जिसके तहत बीआईएस है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ घनिष्ठ सहयोग में काम कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में कुछ को लागू कर रहा है।*

59. इस मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए, प्रतिनिधि ने आगे कहा:

> "..... *सबसे पहले, हमारा उद्देश्य सभी रसायनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश प्राप्त करना होना चाहिए। उसके बाद, वे सभी रसायन जो या तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के संदर्भ में या पर्यावरण मंत्रालय के नियमों के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए, हमारे पास एक रणनीति है जो रॉटरडैम, स्टॉकहोम और रासायनिक हथियारों के विभिन्न सम्मेलनों उनमें से लगभग 135 के तहत रसायनों को कवर करेगी। उनके पास इसके लिए मानकों के साथ-साथ क्यूसीओ भी होने चाहिए। और उन सभी के लिए जिन्हें पर्यावरण मंत्रालय द्वारा खतरनाक रसायनों के रूप में अधिसूचित किया गया - लगभग 684 - हमारे पास मानकों के साथ-साथ क्यूसीओ भी होना चाहिए। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ रसायनों को अधिसूचित*

किया गया है। उन्हें बाजार से इनपुट मिल रहा है। ये रसायन कुछ क्षेत्रों के लिए खतरनाक हैं और उन्हें तुरंत कुछ गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसलिए, हम उपभोक्ता मामले विभाग और बीआईएस के साथ बहुत निकटता से काम कर रहे हैं। यह फिर से हमारे सामने एक बहुत बड़ा काम है, लेकिन यह सुनिश्चित करेगा कि हम न केवल घरेलू बाजार के लिए बल्कि निर्यात बाजार के लिए भी गुणवत्ता वाले रसायनों का उत्पादन करें।

60. इस मुद्दे पर आगे विस्तार से बताते हुए, प्रतिनिधि ने आगे निम्नानुसार बताया: –

"... मैं इसके लिए थोड़ी पृष्ठभूमि दूंगा। कीटनाशक, या व्यापक रूप से बोलने वाले नाशक जीवमार, कीटनाशक अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड (सीआईबीआरसी) नामक एक निकाय है। वे पंजीकरण करते हैं और वे मूल रूप से इसे नियंत्रित कर रहे हैं। वे एक प्रकार का विनियामक हैं, और वे लाइसेंस प्रदान कर रहे हैं। इसका मतलब है, बाजार में बेची जाने वाली किसी भी चीज को पहले उनसे लाइसेंस दिया जाएगा। जब लाइसेंसिंग की जा रही है, तो कुछ समस्याएं हैं। कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। आप उन्हें कैसे हल करते हैं? भले ही यह कृषि विभाग के पास है, लेकिन रसायन हमारे पास हैं। इसलिए, एक संघर्ष है। हमें उन्हें बढ़ावा देना है, लेकिन वे प्रतिबंध लगा रहे हैं। इसलिए हमें कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा। उन्हें लगता है कि कीटनाशक हानिकारक है। कीटनाशक, निश्चित रूप से, मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इस कारण से, इसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है। महोदय, इस प्रयोजनार्थ कुछ मुद्दे थे, कीटनाशक हानिकारक है, लेकिन साथ ही इसकी आवश्यकता भी है। इसलिए, उद्योग के मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। उद्योग ने उल्लेख किया कि कृषि विभाग (सीआईबीआरसी) निर्यात लाइसेंस देने में समय ले रहा है। इसलिए, हमने इस मामले को सीआईबीआरसी के समक्ष उठाया। फिर उन्होंने इस बात की जांच की और कहा कि फॉर्म 1 में जो भी जानकारी आवश्यक है, उसे दिया जाना है, और यदि कुछ अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है और वह किसी अन्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है, तो वे इसे ले सकते हैं और कर सकते हैं और फिर लाइसेंस दे सकते हैं। उद्योग इस बात का उल्लेख कर रहा था कि सीआईबीआरसी में काफी समय लग रहा है। लेकिन, सीआईबीआरसी ने इसे उठाया। केवल एक मामला, पांच

दिन पुराना, वहां था। उद्योग को भी सूचित किया गया था। यह प्रक्रिया है। तदनुसार, दूसरी बात चल रही है। इसी प्रकार, अनुसंधान प्रयोजनार्थ तकनीकी कीटनाशकों के लिए केवल 2 किलोग्राम आयात की अनुमति दी गई थी। उद्योग ने कहा कि 2 किलोग्राम पर्याप्त नहीं था। वे चाहते थे कि इसे बढ़ाया जाए। हमने इस मामले को कृषि विभाग के समक्ष उठाया। वे अब इसे 2 किलो से बढ़ाकर 5 किलो करने की योजना बना रहे हैं। इसी तरह, उद्योग अपने निर्यात पंजीकरण आवेदन की स्थिति जानने में सक्षम नहीं था। अब विभाग एक ट्रेसेबिलिटी और डिजिटाइजेशन डेटाबेस विकसित कर रहा है जिस पर उद्योग अपने आवेदन को ट्रैक कर सकता है। नमूना संग्रह और नमूना परीक्षण भी वहां यादृच्छिक किया जाएगा ताकि पारदर्शिता हो। इसी प्रकार, आयातित फार्मूलेशनों का तकनीकी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया था। ये उद्योग के तीन, चार मुद्दे हैं जिन्हें हम कृषि विभाग के साथ उठा सकते हैं। इसी तरह,

पर्यावरण और वन मंत्रालय के साथ भी बहुत सारे मुद्दे थे। हम चार या पांच मामलों को संभाल सकते थे। अभी भी कुछ मुद्दे हैं जो समाधान की प्रक्रिया में हैं।

61. रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग के विभिन्न मुद्दों के संबंध में, जिनके लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श की आवश्यकता होती है, डीसीपीसी के एक प्रतिनिधि ने निम्नानुसार बताया: –

"..... उपभोक्ता मामलों के विभाग के साथ, हम इस बारे में निरंतर बातचीत कर रहे हैं कि हम अपने रसायनों की गुणवत्ता कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। 61 गुणवत्ता नियंत्रण आदेश पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं। जैसा कि हमारे सचिव महोदय ने अभी उल्लेख किया है, हम अब उन रसायनों के लिए क्यूसीओ बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में हैं और एमएसआईएचसी नियम में सूचीबद्ध हैं, और जिन रसायनों को उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा सूचीबद्ध किया गया है।

(ii) सामंजस्यपूर्ण प्रणाली (एचएस) कोड

62. एचएस कोड के संबंध डीसीपीसी के एक प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया: –

" हम कुछ कोड में संशोधन करने और कुछ शुल्क को युक्तिसंगत बनाने में सफल रहे हैं। हम कम शुल्क दर के साथ कच्चा माल और उच्च शुल्क दर के साथ तैयार उत्पाद चाहते थे, और ये उपलब्ध कच्चे माल में से कुछ थे। एपिक्लोरोहाइड्रिन कच्चे ग्लिसरीन के साथ निर्मित होता है जिसे 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। एसिड-ग्रेड फ्लोरस्पर के साथ भी यही हुआ है, जहां हम इसे शून्य पर लाना चाहते थे, लेकिन इसे 5% से केवल 2.5 प्रतिशत तक नीचे लाया गया। यह एक छोटी सी शुरुआत है। हम चाहेंगे कि यह सभी कच्चे माल के साथ हो। अंतिम उत्पादों के लिए, हम उच्च शुल्क चाहते हैं। महोदय, एचएस कोड महत्वपूर्ण है। हमने देखा है कि अधिकांश आयात अन्य श्रेणी में हो रहे हैं। जब अन्य श्रेणियों में कुछ उद्धृत किया जाता है, तो हम वास्तव में नहीं जानते कि यह रसायन वास्तव में क्या है; इसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है। यही कारण है कि हम सभी रसायनों के लिए अधिसूचना चाहते थे। हमने एक शुरुआत की है। हम सीमित संख्या में रसायनों के लिए कोडिंग प्राप्त करने में सक्षम रहे हैं। हम सिर्फ एक अनुमान लगा रहे थे, और हम पाते हैं कि हमारे पास 11,000 बुनियादी रसायनों की तुलना में लगभग 18,000 कोड हैं। इसका अर्थ है कि इस क्षेत्र में दुरुपयोग की व्यापक संभावनाएं हैं और हम राजस्व विभाग के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कठोर प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पास सभी रसायनों के लिए कोड हो।"

63. प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे पर निम्नानुसार बताया: –

"इसी तरह, एचएस कोड के लिए, ये भी राजस्व विभाग के साथ हमारे सहयोग के कारण बनाए जा सकते हैं। हमारे सचिव महोदय ने राजस्व सचिव के साथ बैठक की थी। हमने वहां एक प्रस्तुति दी थी। यह बनाया जा सकता है। इसी तरह, बजट में दो मदों पर शुल्कों को युक्तिसंगत बनाया जा सका और ऐसा इसीलिए हुआ।"

भाग दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तपवित और अनुमोदित आबंटन

समिति नोट करती है कि रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग (डीसीपीसी) ने 2023-24 के दौरान अपनी विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों और अन्य आवश्यकताओं के लिए 200.95 करोड़ रुपये के परिव्यय का अनुमान लगाया है। हालांकि, वित्त मंत्रालय द्वारा इसे घटाकर 173.45 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रस्तावित बजट परिव्यय, जिसे विभाग ने आकलित किया था कि यह आवश्यक है, में कटौती डीसीपीसी की वर्तमान योजना अर्थात एनएसपी के अंतर्गत पीएमए व्यय के संबंध में बजट अनुमान 2023-24 में 5.00 करोड़ रुपये का प्रावधान के साथ सीपीसी (जिसे 5000 करोड़ रुपये के लिए ईजीओएस द्वारा अनुमोदित किया गया है) के लिए पीएलआई स्कीम के लिए की गई है, सीपीडीएस के संबंध में जहां केवल 3.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है; जिसे 01.04.2023 से एनएसपी स्कीम से विलय कर दिया गया है; सिपेट के लिए 106.20 करोड़ रुपये की तुलना में 92.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और पेट्रोकेमिकल्स की नई स्कीमों (एनएसपी) के लिए भी राशि को घटाकर 22.00 करोड़ रुपये (3.00 करोड़ रुपये की सीपीडीएस निधि सहित) आबंटित किए गए हैं। समिति का विचार है कि वित्तीय लक्ष्यों, जिससे विभाग को अपने धीमे कार्य-निष्पादन में सुधार करने में मदद मिलती, में कमी इस वर्ष भी विभाग के कार्य-निष्पादन को प्रभावित करेगी जिसके परिणामस्वरूप कुल मिलाकर रसायन एवं पेट्रो-रसायन उद्योग का विकास धीमा हो जाएगा। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि डीसीपीसी को संशोधित अनुमान, 2023-24 पर आवश्यक स्तर की धनराशि मिले।

2. समिति पाती है कि वित्त मंत्रालय ने रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग को इसके व्यय की धीमी गति अर्थात एनएसपी योजना के तहत विभिन्न प्लास्टिक पार्कों और उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) द्वारा व्यय के मामले की धीमी गति और सिपेट (सीआईपीईटी) के खाते में अत्यधिक अव्ययित शेष आदि के कारण निधियो के प्रस्तावित आवंटन में कमी की है। यह विभाग के कार्यकरण पर खराब टिप्पणी है। समिति को बताया गया है कि प्लास्टिक पार्कों, सीओई और सिपेट केन्द्रों के लिए एनएसपी स्कीमों और सिपेट में व्यय की धीमी प्रगति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्लास्टिक पार्कों, सीओई और सिपेट केन्द्रों की स्थापना से संबंधित प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

समिति चाहती है कि मंत्रालय/विभाग संबंधित राज्य सरकारों के साथ संबंधित मुद्दों को हल करने के अपने प्रयासों को तेज करें ताकि उनकी परियोजनाओं/योजनाओं के कार्यान्वयन में और विलंब न हो। समिति को आश्वासन दिया गया है कि विभाग विभिन्न कार्यक्रम प्रभागों द्वारा वित्तीय प्रस्तावों का समय पर आकलन कर उस पर कार्रवाई करके वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करेगा। समिति को विश्वास है कि विभाग संशोधित अनुमान, 2023-24 में निधियों की अपनी आवश्यकता को अधिक युक्तियुक्त तरीके से प्रस्तुत करेगा और आवंटन में समुचित वृद्धि की जाएगी।

<u>गत तीन वर्षों के दौरान निधियों का आबंटन और उपयोग</u>

3. समिति पिछले तीन वर्षों के दौरान डीसीपीसी को निधियों के आबंटन में गिरावट की प्रवृत्ति को नोट करके चिंतित है। संशोधित अनुमान, 2020-21, संशोधित अनुमान, 2021-22 और संशोधित अनुमान, 2022-23 के लिए क्रमश: 295.70 करोड़ रुपये, 209.00 करोड़ रुपये और

150.68 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति ने व्यय में गिरावट की प्रवृत्ति भी पाई क्योंकि विभाग 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान क्रमशः 293.04 करोड़ रुपये, 208.29 करोड़ रुपये और 129.48 करोड़ रुपये (31.12.2022 तक) खर्च कर सका। इसके अतिरिक्त, डीसीपीसी को बजट अनुमान 2022-23 में 209.00 करोड़ रुपये आबंटन किया गया जिसे संशोधित अनुमान 2022-23 में घटाकर 150.68 करोड़ रुपये कर दिया गया। यह देखते हुए कि विभाग पिछले वर्षों में वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में बुरी तरह विफल रहा है, समिति यह इच्छा व्यक्त करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि अनुदान के विभिन्न शीर्षों के तहत निधियाे ं की आवश्यकता का आकलन यथार्थवादी पूर्वानुमान पर किया जाए ताकि बजटीय प्रक्रिया को अधिक सार्थक और सटीक बनाया जा सके।

<u>प्लास्टिक पार्कों की स्थापना</u>

4. समिति को पता चला है कि डीसीपीसी ने वर्ष 2013 में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की थी ताकि गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचा प्रदान किया जा सके और प्लास्टिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। प्लास्टिक पार्क अपेक्षित अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का समर्थन करेंगे, जो डोमेस्टिक डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमताओं को मजबूत करने के लिए क्लस्टर विकास दृष्टिकोण के माध्यम से सामान्य सुविधाओं को समर्थ बनाएंगे। विभाग ने अब तक दस (10) प्लास्टिक पार्कों को अनुमोदित किया है। समिति नोट करती है कि प्लास्टिक पार्क की स्थापना के लिए लक्षित तिथि प्लास्टिक पार्क के अनुमोदन की तारीख से तीन (3) वर्ष तक रखी गई है। अब तक अनुमोदित 10 पार्कों में से दो (2) प्लास्टिक पार्क वर्ष 2013 में, एक (1) 2014 में, दो (2) 2018 में, एक (1) 2019 में, एक (1) 2020 में, एक (1) 2021 में और दो (2) 2022 में अनुमोदित किए गए थे। समिति पाती है कि यदि प्लास्टिक पार्कों की स्थापना के लिए लक्षित

तिथियों को ध्यान में रखा जाता है तो आज की स्थितिनुसार छह (6) प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने चाहिए थे। तथापि, समिति इस बात से अत्यधिक चिंतित है कि अभी तक मध्य प्रदेश के तमोट में केवल एक प्लास्टिक पार्क और वह भी लगभग 4 वर्षों के विलंब के बाद स्थापित किया गया है । समिति के ध्यान में यह भी लाया गया है कि सभी दस (10) प्लास्टिक पार्कों के मार्च, 2026 तक कार्यशील होने की संभावना है। समिति 2013 अथवा 2014 में अनुमोदित प्लास्टिक पार्कों के 2022 में अनुमोदित पार्कों के साथ मार्च, 2026 में कार्यशील बनाये जाने का कोई औचित्य नहीं समझ पा रही है। समिति के अनुसार, यह जरूरी है कि सभी प्लास्टिक पार्क निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थापित किए जाएं और बिना किसी देरी के कार्यशील बनाए जाएं। प्लास्टिक पार्क योजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि देश में प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग को इस योजना के लाभों से वंचित नहीं किया जाए। समिति यह चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति के बारे में समय-समय पर अवगत कराया जाए।

5. समिति नोट करती है कि प्लास्टिक पार्क योजना के तहत, भारत सरकार भौतिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रति परियोजना 40.00 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 50% तक अनुदान वित्त पोषण प्रदान करती है जिसमें प्रशासनिक भवनों, क्रेच/कैंटीन/छात्रावास/श्रमिकों के लिए सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली आदि जैसी सहायक सेवाओं के लिए भवनों सहित सड़क, जल आपूर्ति, जल निकासी, बिजली आपूर्ति आदि जैसी सुविधाएं शामिल हैं। परियोजना में शेष योगदान राज्य सरकार अथवा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कोर्पोरेशन लिमिटेड अथवा राज्य सरकार की इसी तरह की एजेंसियों, लाभार्थी उद्योगों और वित्तीय संस्थानों से ऋण द्वारा किया जाता है। दस (10) अनुमोदित प्लास्टिक पार्कों में से, सरकार ने चार (4) पार्कों को अधिकतम 40.00 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है

और शेष छह (6) पार्कों को उनकी कुल परियोजना लागत के आधार पर एक अनुमोदित अनुदान आवंटित किया गया है जो कुल परियोजना लागत का 50% है और 40.00 करोड़ रुपये से कम है। यह खेदजनक है कि यद्यपि सरकारी वित्तपोषण परियोजना लागत का 50% तक है (40.00 करोड़ रुपये की भारी राशि की अधिकतम सीमा के अध्यधीन), फिर भी विभिन्न कारणों से प्लास्टिक पार्कों की स्थापना में अत्यधिक देरी हो रही है।

निवेशकों और उद्योग की ओर से विभिन्न कारकों, जिनमें से कुछ सामान्य हैं और कुछ व्यक्तिगत पार्कों के लिए विशिष्ट हैं, कुछ मामलों में प्लास्टिक पार्कों के पास मल्टी मॉडल और मल्टी यूसेज इंडस्ट्रियल जोन/पार्कों के अतिरिक्त कोविड-19 महामारी के दौरान लगाए गए प्रतिबंध आदि के कारण कम रुचि को प्लास्टिक पार्क योजना की स्थापना में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। समिति प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की गति में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों पर भी ध्यान देती है जैसे विभिन्न स्तरों पर बैठकों के माध्यम से पार्कों की प्रगति की निगरानी में वृद्धि की गई है, उद्योग को योजना और पार्कों की क्षमता के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए उद्योग संघों के साथ बैठकें की जाती हैं, कार्यान्वयन एजेंसियों से विभिन्न कार्यक्रमों, सम्मेलनों, रोड शो आदि के दौरान पार्कों का विज्ञापन करने के लिए कई अवसरों पर अनुरोध किया गया है। इसके अतिरिक्त, इसे और अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए योजना के दिशानिर्देशों में नवंबर, 2020 में संशोधन किया गया है। समिति को विश्वास है कि विभाग वांछित परिणाम प्राप्त होने तक संयुक्त प्रयास करता रहेगा। समिति को आशा है कि डीसीपीसी और संबंधित राज्य सरकारें/एजेंसियां प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग और पूरे देश के लाभ के लिए योजना को सफल बनाने के लिए उचित समन्वय और एक उद्देश्य से कार्य करेंगी, जिसके न होने पर समस्त योजना की समीक्षा की जानी चाहिए।

<u>उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना</u>

6. समिति नोट करती है है कि डीसीपीसी ने उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना के लिए एक योजना तैयार की है जिसका उद्देश्य देश में मौजूदा पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी और अनुसंधान में सुधार करना और पॉलिमर और प्लास्टिक के नए अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देना है। अनुमोदित 13 सीओई में से, 2011 से 2013 की अवधि में अनुमोदित 5 सीओई पूरे हो गए हैं और चूंकि उनके वांछित परिणाम रहे हैं और परियोजना अवधि पूरी हो गई है इसलिए विभाग वर्तमान में उनकी निगरानी नहीं कर रहा है, 2019 से 2020 की अवधि में अनुमोदित छह (6) सीओई वर्तमान में कार्याशील हैं और 2022 में अनुमोदित 2 नए सीओई अभी शुरू नहीं हुए हैं। विभाग उद्योग और एकेडेमिया को नियमित आधार पर बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए अपने बेहतर प्रयास कर रहा है जिससे दोनों उद्योग की जरूरतों और आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग कर सकें। ऐसी ही एक पहल मई, 2022 में विभाग द्वारा आयोजित "उत्कृष्टता केंद्र के साथ उद्योग संपर्क" थी। विभाग की भविष्य में इस तरह के कई आयोजनों की व्यवस्था करने की योजना है। समिति यह देखकर निराश है कि विभाग ने 2011 से 2013 की अवधि के बाद 5 साल के अंतराल पर केवल 2019 से 2020 में सीओई को मंजूरी दी थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नई प्रोद्योगिकियां, पेटेंट, अनुसंधान प्रकाशनों, सीओई और संगठन से निकलने वाले कुशल कार्यबल तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/कार्यशालाओं आदि में उनकी भागीदारी के रूप में अनुसंधान के परिणाम पेट्रोरसायन उद्योग के विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं, समिति सिफारिश करती है कि पॉलीमर के क्षेत्र में कार्यरत मौजूदा शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में पर्याप्त संख्या में और अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियमित अंतराल पर सीओई

स्थापित किए जाएं। समिति को 2022 में अनुमोदित 2 नए सीओई के संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस)</u>

7. समिति नोट करती है कि विभाग पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय नवाचारों और आविष्कारों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु रसायन संवर्धन एवं विकास योजना (सीपीडीएस) नामक एक योजना चला रहा था। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2020-21 तक लगभग 123 विजेता और 89 उपविजेताओं को पुरस्कृत किया गया है। समिति को अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय के निर्देशों पर सीपीडीएस को संशोधित किया गया/समीक्षा की गई है और इसे पेट्रोकेमिकल्स रिसर्च एंड इनोवेशन कमेंडेशन स्कीम नाम दिया गया है। संशोधित योजना में विजेताओं को तीन-तीन लाख रुपये और उप विजेता को एक-एक लाख रुपये का नकद पुरस्कार वापस ले लिया गया है और इसके स्थान पर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार की श्रेणी, जिसके लिए पेट्रोकेमिकल्स और संबद्ध क्षेत्र में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र सहित 5 लाख रुपये नकद का एक अलग से पुरस्कार दिया गया था, को पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों की श्रेणी से हटा दिया गया है। समिति ने पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय नवाचारों और आविष्कारों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु नकद पुरस्कार, जो पिछले ग्यारह वर्षों से दिया जा रहा था, के प्रावधान को हटाने के निर्णय संबंधी कारणों को जानना चाहती है। समिति की यह सुविचारित राय है कि पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहन के रूप में नकद पुरस्कार हमेशा प्रेरक होते हैं और इसे वापस लेने का निर्णय पुरस्कार विजेताओं को हतोत्साहित कर सकता है और पेट्रोकेमिकल्स क्षेत्र के हित

के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि डीसीपीसी गृह मंत्रालय के परामर्श से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और पेट्रोकेमिकल्स और डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय नवाचारों और आविष्कारों के लिए पुरस्कार विजेताओं को प्रोत्साहन के रूप में कुछ नकद पुरस्कार भी फिर से शुरू करने का प्रस्ताव करे। समिति को विश्वास है कि विभाग इस संबंध में तत्काल सकारात्मक कदम उठाएगा। समिति को इस बारे में अवगत कराया जाए।

<u>विगत तीन वर्षों के दौरान सिपेट का कार्यनिष्पादन और निधियों का आबंटन</u>

8. केन्द्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) डीसीपीसी के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान है जो प्लास्टिक के सभी डोमेन में कौशल विकास, प्रौद्योगिकी सहायता सेवाओं, अकादमिक और अनुसंधान (एसटीएआर) जैसे डिजाइन, सीएडी/सीएएम/सीएई, टूलिंग और मोल्ड विनिर्माण, प्लास्टिक प्रसंस्करण, परीक्षण और गुणवता आश्वासन के लिए समर्पित है। समिति यह नोट करती है कि सिपेट के संबंध में 117.88 करोड़ रुपये के बजट अनुमान, 2021-22 को मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के कारण व्यय की धीमी गति के कारण संशोधित अनुमान, 2021-22 में घटाकर 102.34 करोड़ रुपये कर दिया गया था। पुनः बजट अनुमान 2022-23 के 100.24 करोड़ रुपये को सिपेट में अव्ययित शेष राशि के कारण संशोधित अनुमान 2022-23 के आधार पर घटाकर 63.81 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इसे सिपेट जैसे संगठन के लिए संतोषजनक कार्यनिष्पादन नहीं कहा जा सकता है जो पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेषीकृत शैक्षणिक और कौशल विकास प्रशिक्षण दोनों कार्यक्रमों की पेशकश करने के मिशन से काम कर रहा है ताकि पेट्रोरसायन और संबद्ध उद्योगों के लिए उद्यमिता गुणों से युक्त योग्य मानव संसाधन प्रदान किया जा सके। समिति आशा करती है कि डीसीपीसी/सिपेट, सिपेट

के विगत असंतोषजनक कार्यनिष्पादन को बेहतर बनाने के सभी अग्रिम उपाय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष 2023-24 के दौरान 92.88 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान का इष्टतम उपयोग किया जाए और निर्धारित वास्तविक लक्ष्यों को बिना किसी कमी के प्राप्त किया जाए।

<u>सिपेट के नए केंद्रों का निर्माण</u>

9. देश भर में सिपेट के 46 केंद्र हैं जिनमें 8 प्लास्टिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीटी), 31 कौशल और तकनीकी सहायता केंद्र (सीएसटीएस), 3 स्कूल फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन पॉलिमर (एसएआरपी) और 4 उप-केंद्र शामिल हैं। समिति यह नोट करती है कि 06 सिपेट केंद्र अर्थात् सिपेट सीएसटीएस ग्वालियर, सिपेट सीएसटीएस बद्दी, सिपेट सीएसटीएस वाराणसी, सिपेट सीएसटीएस रांची, सिपेट सीएसटीएस भागलपुर और सिपेट आईपीटी भीटा को क्रमशः जुलाई, 2020, नवंबर, 2021, दिसंबर, 2021, अप्रैल, 2021, मार्च, 2023 और मार्च, 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। यह निराशाजनक है कि विभाग इस तथ्य के बावजूद कि 6 सिपेट केंद्रों में से 4 को वर्ष 2020 और 2021 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। समिति को इसके कारणों से अवगत कराया जाए सभी 6 सिपेट केंद्रों के संबंध में निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए वर्ष 2025-26 तक की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहा है।

10. समिति को बताया गया है कि सिपेट सीएसटीएस ग्वालियर और सिपेट सीएसटीएस वाराणसी के संबंध में अतिरिक्त निधियों की मांग के लिए संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष मामला उठाया जा रहा है। सिपेट सीएसटीएस बद्दी के लिए, राज्य सरकार ने 5.15 करोड़ रुपये के कुल घाटे में से 2.57 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान की है और सिपेट सीएसटीएस रांची का काम सीपीडब्ल्यूडी के साथ निरंतर बैठक और अनुवर्ती कार्रवाई के बाद शुरू हुआ है। सिपेट

सीएसटीएस भागलपुर और सिपेट आईपीटी भीटा की स्थिति के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। समिति का मानना है कि लक्षित सभी 6 सिपेट केन्द्रों की स्थापना करने की जिम्मेदारी विभाग की है। समिति सिफारिश करती है कि संबंधित राज्य सरकारों के साथ मुद्दों को हल करने के लिए तत्काल आधार पर सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि सभी छह सिपेट केंद्र जल्द से जल्द अस्तित्व में आ सकें।

<u>सिपेट केंद्रों पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन केंद्रों (पीडब्लूएमसी) की स्थापना</u>

11. समिति यह नोट करती है कि बेंगलुरु, वाराणसी, पटना और अहमदाबाद में 4 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (पीडब्लूएमसी) की स्थापना के प्रस्ताव पर पहली बार दिनांक 21.10.2019 को सचिव (सी एंड पीसी) की अध्यक्षता में आयोजित स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठक में विचार-विमर्श किया गया था और दिनांक 20.12.2019 को विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया था। पीडब्लूएमसी का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न प्लास्टिकों के बीच बेहतर संगतता के साथ उत्पाद विकास के लिए प्रसंस्करण स्थिति को इष्टतम बनाना, प्लास्टिक पुनर्चक्रण इकाइयों के लिए सुप्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना, प्रभावी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन समाधानों को बढ़ावा देना, उद्यमियों और स्टार्ट अप उद्यमों को बढ़ावा देना, आर्थिक पहलू के लिए उत्पाद विकसित करना और विकसित पैलेट की पुनर्चक्रण क्षमता का आकलन करना है।

तथापि, समिति को यह नोट कर खेद है कि आज तक एक भी पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना नहीं की गई है। सिपेट ने मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को संशोधित किया था, जिसे डीसीपीसी ने दिनांक 28.06.2022 को मंजूरी दे दी थी और इसे हाजीपुर, वाराणसी, बेंगलुरु और अहमदाबाद में संबंधित सिपेट केंद्रों को परिचालित

किया था। सिपेट केंद्रों ने संशोधित एसओपी के अनुसार उपयुक्त 2-3 एकड़ भूमि के आवंटन के लिए संबंधित राज्य सरकार को अनुमोदित संशोधित एसओपी और डीपीआर प्रस्तुत की है। तथापि, संबंधित राज्य सरकारों से कोई प्रतिक्रिया न मिलने के कारण तथा, और अधिक विलंब से बचने के लिए मौजूदा सिपेट परिसरों में पीडब्ल्यूएमसी स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सिपेट केंद्र में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए संशोधित एसओपी और डीपीआर सिपेट द्वारा तैयार की जा रही है। समिति इसे पीडब्लूएमसी की स्थापना के बाद उनसे होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए सही दिशा में उठाया गया कदम मानती है। चूंकि पहले ही काफी समय बीत चुका है, इसलिए समिति चाहती है कि सिपेट केंद्रों में पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए संशोधित एसओपी और डीपीआर में डीसीपीसी/सिपेट शीघ्र संशोधन करें ताकि पीडब्लूएमसी की स्थापना के लिए काम शुरू किया जा सके और पीडब्लूएमसी के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मंत्रालय/विभाग को पीडब्लूएमसी स्थापित करने के लिए अपेक्षित भूमि के आवंटन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के समक्ष मामले को रखना चाहिए और हुई प्रगति से समिति को अवगत कराना चाहिए।

<u>सिपेट- अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u>

12. समिति यह नोट करती है कि सिपेट अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। समिति को सिपेट अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा होने के बाद उम्मीदवारों के रोजगार मिलने संबंधी आंकड़े बहुत निराशाजनक लगते हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान, कार्यक्रम में प्रवेश प्राप्त 29,581 उम्मीदवारों में से 29,465 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था, हालांकि केवल 1886 उम्मीदवारों को ही रोजगार मिल सका। पुनः, वर्ष 2021-22 और 2022-23 के दौरान, 34,208 और 36,536 उम्मीदवारों में से 34,027 और 36,422 (जनवरी,

2023 तक की स्थिति के अनुसार) को प्रशिक्षित किया गया था और केवल क्रमश: 6,018 और 8,246 उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई थी। समिति चाहती है कि डीसीपीसी/सिपेट प्रशिक्षित उम्मीदवारों की कुल संख्या की तुलना में कम नियुक्ति के कारणों का गंभीरता से विश्लेषण करें और तदनुसार आवश्यक कदम उठाएं। विभाग/सिपेट के लिए उम्मीदवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

13. समिति यह भी नोट करती है कि सिपेट दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों की संख्या बहुत कम है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, नामांकित 13,297 और 13,494 उम्मीदवारों में से केवल क्रमश: 4,263 और 4,562 उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और क्रमशः 3,563 और 3,932 उम्मीदवारों को रोजगार दिया गया था। इसलिए विभाग/सिपेट को इस खेदजनक स्थिति के कारणों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है। सिपेट, प्लास्टिक अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों में जनशक्ति विकसित करने और पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों के लिए उद्यमिता गुणों से युक्त योग्य मानव संसाधन प्रदान करने के लिए पॉलिमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए विशेषीकृत संस्थान होने के नाते, समिति यह आश्वासन प्रदान करना चाहती है कि डीसीपीसी/सिपेट युवा प्रतिभाओं को सिपेट प्रशिक्षण कार्यक्रम में अर्हता प्राप्त करने और रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगा ताकि वे देश के भीतर पॉलिमर और संबद्ध उद्योगों की आवश्यकता को पूरा कर सकें।

<u>पीसीपीआईआर नीति का कार्यान्वयन</u>

14. समिति यह नोट करती है कि सरकार ने पेट्रोलियम, रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल, 2007 में पीसीपीआईआर नीति तैयार की थी। पेट्रोलियम, रसायन और

पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर) में निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए इस नीति को अधिसूचित किया गया था। पीसीपीआईआर की अवधारणा बड़े पैमाने पर एकीकृत और पर्यावरण अनुकूल तरीके से इन क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण पर आधारित है। अब तक 4 पीसीपीआईआर अर्थात् (i) वर्ष 2009 में अधिसूचित गुजरात (दाहेज), (ii) वर्ष 2009 में आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम), (iii) वर्ष 2010 में ओडिशा (पारादीप) और (iv) तमिलनाडु (कुड्डोलूर और नागपट्टिनम) अधिसूचित किए गए हैं। हालांकि, यह निराशाजनक है कि डीसीपीसी मार्च, 2017 में पीसीपीआईआर दाहेज, गुजरात को ही चालू कर सका। पीसीपीआईआर, आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) और ओडिशा (पारादीप) प्रक्रियात्मक विलंब के कारण पर्यावरणीय मंजूरी के अभाव में लंबित हैं और इन्हें मूर्त रूप देने के लिए और अधिक समय की आवश्यकता है। समिति इस तरह के असंतोषजनक कार्यनिष्पादन से प्रसन्न नहीं है क्योंकि इन पीसीपीआईआर को बहुत पहले वर्ष 2009 और 2010 में अधिसूचित किया गया था। मंत्रालय/डीसीपीसी को अपने कार्यकारी और निगरानी विंग को ऊर्जावान और सुदृढ़ बनाने के लिए पूरे प्रयास करने चाहिए। पीसीपीआईआर आंध्र प्रदेश (विशाखापत्तनम) और ओडिशा (पारादीप) के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकारों के साथ उच्चतम स्तर पर घनिष्ठ और अधिक गहन बातचीत होनी चाहिए ताकि दोनों पीसीपीआईआर को जल्द-से-जल्द चालू किया जा सके और पीसीपीआईआर में निवेश को आकर्षित करने और रोजगार सृजन के लिए पीसीपीआईआर नीति के इच्छित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके।

15. तमिलनाडु (कुड्डोलोर और नागपट्टिनम) के संबंध में, समिति को सूचित किया गया है कि कुड्डोलोर और नागपट्टिनम जिलों के 45 गांवों की लगभग 23,000 हेक्टेयर भूमि को प्रस्तावित

पीसीपीआईआर के लिए सरकारी जी.ओ. (एमएस) संख्या 108, एच एंड यूडीडी, दिनांक 20.06.2017 के द्वारा "स्थानीय योजना क्षेत्र" के रूप में घोषित किया गया था, तथापि, तमिलनाडु सरकार ने अब सरकारी जी.ओ. (एमएस) संख्या 36, एच एंड यूडीडी, दिनांक 21.02.2020 के अनुसार "स्थानीय योजना क्षेत्र" की घोषणा को रद्द कर दिया है और इसे तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है। पूर्वगामी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, समिति चाहती है कि पीसीपीआईआर, तमिलनाडु की स्थापना के संबंध में डीसीपीसी की आगे की कार्य योजना से अवगत कराया जाए।

16. डीसीपीसी के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान स्वीकार किया कि पीसीपीआईआर नीति के संबंध में अच्छा कार्यनिष्पादन नहीं करने का मुख्य कारण आवश्यक 'भूमि' की अनुपलब्धता है। इससे पहले विभाग ने लगभग 250 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को अधिसूचित किया था और चूंकि भूमि अपर्याप्त मात्रा में है, इसलिए इसे अधिग्रहित करना और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए इसे अधिसूचित करना एक चुनौती बन गयी है। समिति को पता चला है कि डीसीपीसी पीसीपीआईआर नीति की समीक्षा करने की प्रक्रिया में है। महत्वपूर्ण हितधारकों, विशेष रूप से राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद यह पता चला है कि सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के साथ 250 वर्ग किलोमीटर भूमि के बजाय, विभाग सामान्य अवसंरचना सुविधाओं के साथ 5000 एकड़ भूमि का उपयोग कर सकता है। अतः विभाग ने छोटे क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करने और इस मामले में आगे बढ़ने का फैसला किया है। समिति विभाग के इस विचार का समर्थन करती है कि उसे पीसीपीआईआर स्थापित करने के लिए भूमि के छोटे टुकड़े का उपयोग करना चाहिए। चूंकि पीसीपीआईआर नीति की परिकल्पना वर्ष 2007 में की गई थी और अब तक केवल एक

पीसीपीआईआर को चालू किया गया है, इसलिए समिति सरकार से इस संबंध में तेजी से कार्रवाई करने और यथाशीघ्र संशोधित पीसीपीआईआर नीति लाने का आग्रह करती है।

<u>रसायनों हेतु गुणवत्ता नियंत्रण आदेश</u>

17. डीसीपीसी के प्रतिनिधि ने साक्ष्य के दौरान बताया कि रसायनों की गुणवत्ता विचार करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। रसायन और पेट्रोरसायन क्षेत्र अनियमित क्षेत्र है और यह संभव है कि देश में नकली रसायन उपलब्ध कराए जाएं। नकली रसायनों की जांच करने के लिए कुछ मानकों की आवश्यकता होती है और उस प्रयोजनार्थ विभिन्न रसायनों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) की आवश्यकता होती है। आज तक की तिथि के अनुसार, डीसीपीसी के पास लगभग 61 रसायनों के संबंध में क्यूसीओ है और बड़ी संख्या में रसायन अभी भी क्यूसीओ के दायरे से बाहर हैं। समिति इसे गंभीर चिंता का विषय मानती है। कहने की जरूरत नहीं कि सभी रसायनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत लाने की बाधाओं से तात्कालिकता और प्राथमिकता की भावना से निपटा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ग्राहक उत्पादों में नकली रसायनों के उपयोग से बीमार न हों। विभाग ने बताया है कि वह उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के साथ निकट सहयोग में काम कर रहा है जो कुछ अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनों को लागू कर रहा है। समिति का मानना है कि इस दिशा में निरंतर और समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है और विश्वास है कि सभी हितधारकों के संयुक्त प्रयासों से, सफलता प्राप्त होगी और सभी रसायनों को गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के अंतर्गत लाया जाएगा।

सुसंगत कोड प्रणाली

18. समिति को बताया गया है कि डीसीपीसी अब तक कुछ हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस) कोडों को संशोधित करने और कुछ शुल्क युक्तिकरण करने में सक्षम रहा है। विभाग कच्चे माल पर कम शुल्क दर और तैयार उत्पादों पर उच्च शुल्क दर चाहता है। विभाग के अनुसार, कच्चे ग्लिसरीन के साथ निर्मित एपिक्लोरोहाइड्रिन पर शुल्क 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत और एसिड-ग्रेड फ्लोरस्पर के लिए 5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है, हालांकि विभाग चाहता था कि इसे शून्य कर दिया जाए और उनका लक्ष्य ऐसा करना है। समिति कच्चे माल पर शुल्क दरों को कम करने के लिए विभाग के प्रयासों की सराहना करती है। इसके अलावा, रासायनिक क्षेत्र में दुरुपयोग की एक बड़ी गुंजाइश बताई गई है और विभाग अब तक केवल सीमित संख्या में रसायनों के लिए कोडिंग प्राप्त करने में सक्षम रहा है। समिति चाहती है कि विभाग अधिकतम संख्या में रसायनों की कोडिंग के लिए वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के साथ इस मामले को उठाए। समिति इसे रसायनों के संपर्क में आने से होने वाले स्वास्थ्य जोखिम को कम करने के लिए सही दिशा में एक कदम मानती है। समिति चाहती है कि इस दिशा में हुई प्रगति के बारे में समय-समय पर अवगत कराया जाये।

नई दिल्ली;
.... मार्च, 2023
..... फाल्गुन, 1944 (शक)

डॉ. शशि थरूर
सभापति,
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

अनुबंध

(पैरा संख्या 43 के अनुसार)

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों की स्थापना (अहमदाबाद, बेंगलुरु, पटना और वाराणसी)

अहमदाबाद में पीडब्ल्यूएमसी:

- सिपेट: 17.03.2021 को आईपीटी अहमदाबाद ने अहमदाबाद में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए नगर आयुक्त, अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), अहमदाबाद को परियोजना प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए गुजरात सरकार को शॉप फ्लोर के लिए 4000 वर्ग मीटर की पूर्वनिर्मित संरचना के साथ 5.0 एकड़ भूमि निशुल्क प्रदान करनी है।
- अहमदाबाद में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए उपायुक्त, एएमसी और निदेशक, (एसडब्ल्यूएम), एएमसी के साथ 18.06.2021 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। इसके अलावा, निदेशक (एसडब्ल्यूएम), एएमसी के साथ 25.06.2021 को उनके कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। सिपेट आईपीटी अहमदाबाद की टीम ने एएमसी अधिकारियों के समर्थन से पिराना और नेपरा में एएमसी डंपिंग साइट का दौरा किया।
- सचिव, डीसीपीसी, भारत सरकार ने अहमदाबाद में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन के लिए श्री अनिल मुकीम, आईएएस, मुख्य सचिव, गुजरात सरकार को दिनांक 16.08.2021 का डीओ पत्र जारी किया था।
- मुख्य सचिव, गुजरात सरकार, की अध्यक्षता में सचिवालय, गांधीनगर में 20.08.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक के दौरान, नगर आयुक्त ने परियोजना से अहमदाबाद नगर निगम को होने वाले वास्तविक लाभ के बारे में पूछा था और अपशिष्ट डंपिंग साइट (अर्थात पीडब्ल्यूएमसी के प्रस्तावित स्थान) के पास भूमि की अत्यधिक बाज़ार दर के कारण भूमि और अवसंरचना को आवंटित करने में अपनी बाधाओं को व्यक्त किया था।
- उप नगर आयुक्त कार्यालय ने 28.08.2021 के पत्र के माध्यम से सिपेट द्वारा प्रस्तावित 10-12 टन अपशिष्ट रीसाइक्लिंग के लिए भूमि और अवसंरचना के लिए लगभग 60 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश के लिए एएमसी के प्रस्तावित निवेश के लिए औचित्य पूछा।
- सिपेट, अहमदाबाद ने दिनांक 08.09.2021 के पत्र के माध्यम से पीडब्ल्यूएमसी के संबंध में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए एएमसी से संपर्क किया, लेकिन एएमसी ने कोई उत्तर नहीं दिया।
- एएमसी प्रति दिन 1000 टन क्षमता के औद्योगिक ठोस अपशिष्ट रीसाइक्लिंग संयंत्र की तलाश कर रहा है, वे 10 टन संयंत्र की छोटी क्षमता के लिए कम रुचि रखते हैं। सिपेट: आईपीटी- अहमदाबाद ने नगर निगम/राज्य सरकार को अवसंरचना के साथ भूमि के समपूर्ण स्वामित्व का सुझाव दिया ताकि वे पीडब्ल्यूएमसी के लिए भूमि आवंटित करने में रुचि रख सकें। तथापि, एएमसी पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए भूमि के आवंटन के पक्ष में नहीं है।

- इसके अलावा, सिपेट: आईपीटी अहमदाबाद ने आयुक्त, उद्योग आयुक्तालय, गुजरात सरकार के साथ चर्चा की। बताया गया कि उनके पास उक्त परियोजना के लिए भूमि और अवसंरचना के आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

<u>बेंगलुरु में पीडब्ल्यूएमसी</u>:

- सिपेट: एसएपीआर एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु ने वहाँ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए संयुक्त आयुक्त, बीबीएमपी प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु को परियोजना प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए कर्नाटक सरकार को दिनांक 23.03.2020 के पत्र द्वारा पूर्वनिर्मित संरचना के साथ शॉप फ्लोर और अकादमिक के लिए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले 5.0 एकड़ भूमि निशुल्क प्रदान करना है।
- सिपेट: एसएआरपी एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु ने दिनांक 01.06.2020 के पत्र के माध्यम से उसी परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि के आवंटन के लिए बीबीएमपी से संपर्क किया।
- अपर सचिव, डीसीपीसी, भारत सरकार और महानिदेशक, सिपेट द्वारा 06.04.2021 को मुख्य आयुक्त, बीबीएमपी, बेंगलुरु को एक डी.ओ. पत्र जारी किया गया था।
- बीबीएमपी ने कोगिले क्वारी, सर्वे संख्या 99, श्रीनिवासपुरा, बेंगलुरु में 5 एकड़ भूमि की पहचान की। अपर सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और महानिदेशक, सिपेट द्वारा बीबीएमपी मुख्य आयुक्त को 06.04.2021 के पत्र के आधार पर, पीडब्ल्यूएमसी भूमि से संबंधित सभी प्रासंगिक दस्तावेज बीबीएमपी संयुक्त आयुक्त (जेसी)-एसडब्ल्यूएम को भेजे गए थे। इसके बाद फाइल को आगे की प्रक्रिया के लिए येलहंका जेसी, बीबीएमपी को सौंप दिया गया।
- सिपेट एसएआरपी- एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु ने बीबीएमपी के संयुक्त आयुक्त (एसडब्ल्यूएम) को दिनांक 28.08.2021 के पत्र के माध्यम से स्थिति के बारे में पूछा। एपीडीडीआरएल की टीम ने दैनिक आधार पर बीबीएमपी प्रधान कार्यालय का दौरा किया और बीबीएमपी प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु के संयुक्त आयुक्त (एसडब्ल्यूएम) से मिलने में असमर्थ रही। 09.09.2021 को, संयुक्त आयुक्त (एसडब्ल्यूएम) कार्यालय से पता चला कि, पत्र उनकी तकनीकी टीम को गया है। इस बीच, सिपेट टीम ने कोगिल, क्वारी क्षेत्र में स्थल का दौरा किया था और पाया था कि चिन्हित किए गए क्षेत्र में बड़े-बड़े

गड्ढे हैं और यह इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा। चर्चा के दौरान, संयुक्त आयुक्त (एसडब्ल्यूएम), बीबीएमपी, प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु ने 5 अक्टूबर, 2021 को श्री प्रवीण, कार्यकारी अभियंता को विदुथी में साइट का दौरा करने के लिए संदर्भित किया। कार्यकारी अभियंता से पुष्टि के बाद टीम ने नई साइट का दौरा किया।

- सिपेट: एसएआरपी एपीडीडीआरएल, बेंगलुरु ने बेंगलुरु में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को संशोधित एसओपी और डीपीआर भेजा है:
  - संयुक्त आयुक्त (एसडब्ल्यूएम), बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) प्रधान कार्यालय, बेंगलुरु
  - डॉ. हरीशकुमार, आईएएस, विशेष आयुक्त (एसडब्ल्यूएम), बीबीएमपी हेड ऑफिस, बेंगलुरु
  - श्री तुषार गिरि नाथ, आईएएस, मुख्य आयुक्त, बीबीएमपी, एनआर स्क्वायर, बेंगलुरु

सिपेट के प्रमुख: एसएआरपी एपीडीडीआरएल और उनकी टीम बीबीएमपी कार्यालय के साथ फॉलो-अप कर रही है। प्रस्ताव और एसओपी के उत्तर में, बीबीएमपी ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अलावा, विशेष आयुक्त (एसडब्ल्यूएम), बीबीएमपी, बेंगलुरु के कार्यालय ने बताया कि बीबीएमपी ने दिनांक 17.11.2022 के ईमेल द्वारा समयबद्ध ईमेल के साथ धन की उपलब्धता, प्रक्रियात्मक अनुमोदन के आधार पर इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए गंभीरता से लिया है।

<u>पटना में पीडब्ल्यूएमसी</u>:

- सिपेट: सीएसटीएस हाजीपुर ने पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए बिहार सरकार के उद्योग विभाग के सचिव को परियोजना प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए बिहार सरकार को पूर्वनिर्मित संरचना के साथ शॉप फ्लोर और अकादमिक के लिए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले 5.0 एकड़ भूमि निशुल्क प्रदान करनी है।

दिनांक 14.02.2020 के पत्र के माध्यम से एक प्रति नगर आयुक्त, नगर निगम पटना (बिहार) को भेजी गई है।

- सिपेट: सीएसटीएस हाजीपुर ने पीडब्लूएमसी पटना की स्थापना के लिए सचिव, शहरी विकास और आवासन विभाग, बिहार सरकार को दिनांक 17.10.2020 के पत्र के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम पटना (बिहार) को एक प्रति के साथ प्रस्ताव भेजा था।
- सिपेट: सीएसटीएस हाजीपुर ने पटना में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए नगर आयुक्त, पटना को दिनांक 19.10.2020 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव भी भेजा था, जिसकी एक प्रति सचिव, शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार को भी भेजी गई थी।
- पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना से संबंधित मामले पर बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव (उद्योग) की अध्यक्षता में 28.01.2021 को आयोजित सिपेट: सीएसटीएस हाजीपुर की 16 वीं आरएसी बैठक में चर्चा की गई थी। पटना में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के प्रस्ताव पर अनुकूल रूप से विचार किया गया। बाद में 29.01.2021 को आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा बुलाई गई अनुवर्ती बैठक में उपयुक्त स्थान पर 4000 वर्गमीटर पूर्वनिर्मित क्षेत्र के साथ 5 एकड़ भूमि प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की गई।
- भारत सरकार के डीसीपीसी के अपर सचिव श्री समीर कुमार विश्वास और सिपेट के महानिदेशक द्वारा 06.04.2021 को पटना नगर निगम, बिहार के नगर आयुक्त को एक डीओ पत्र जारी किया गया था।
- प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए पटना नगर निगम के साथ 26.04.2021 को एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई थी। सिपेट की टीम ने पटना नगर निगम के अधिकारियों के साथ 02.06.2021 को रामाचक बैरिया, पटना में प्रस्तावित स्थल का दौरा किया और उपयुक्त पाया। इसे जारी रखते हुए, सिपेट सीएसटीएस हाजीपुर ने पीडब्ल्यूएमसी की आवश्यकता और प्रस्तावित ड्राइंग/लेआउट को दिनांक 04.06.2021 के पत्र के माध्यम से पटना नगर निगम को भेजा।
- पटना नगर निगम ने 14.07.2021 के अनुमोदित पत्र के माध्यम से रामाचक बैरिया, पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की और पटना में पीडब्लूएमसी की स्थापना के संबंध में 18.08.2021 को

नगर आयुक्त, पटना और पीएमसी के अन्य अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। पीडब्ल्यूएमसी के स्वामित्व और संचालन के संबंध में उनके द्वारा सुझाए गए अनुसार, पटना में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना और संचालन के लिए संशोधित समझौता ज्ञापन पीएमसी के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। सचिव, डीसीपीसी, भारत सरकार ने पटना में पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए भूमि आवंटन के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव को दिनांक 02.08.2021 का डीओ पत्र जारी किया। पटना में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना से संबंधित मुद्दे पर सिपेट: सीएसटीएस हाजीपुर की 17 वीं आरएसी बैठक में चर्चा की गई थी। सिपेट के निदेशक और प्रमुख: सीएसटीएस हाजीपुर ने पटना नगर निगम को प्रस्तुत पिछले प्रस्ताव की स्थिति के बारे में बताया और विचार और समर्थन के लिए डीसीपीसी द्वारा विधिवत अनुमोदित संशोधित डीपीआर के बारे में भी सूचित किया। सिपेट द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए, प्रधान सचिव (उद्योग), बिहार सरकार ने 29 जुलाई 2022 को एक बैठक बुलाई थी, जहां आयुक्त, पटना नगर निगम को भी आमंत्रित किया गया था; हालांकि, कुछ प्रशासनिक कारणों से बैठक रद्द कर दी गई। सिपेट: सीएसटीएस हाजीपुर जल्द से जल्द निर्धारित बैठक को फिर से बुलाने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है।

<u>वाराणसी में पीडब्ल्यूएमसी:</u>

- सिपेट: सीएसटीएस वाराणसी ने वाराणसी में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए दिनांक 28.01.2020 के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को परियोजना प्रस्ताव भेजा था, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार को शॉप फ्लोर और अकादमिक के लिए 4000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले पूर्वनिर्मित संरचना के साथ 5.0 एकड़ भूमि निशुल्क प्रदान करनी है।
- सिपेट सीएसटीएस वाराणसी ने भूमि आवंटित करने के लिए एमएसएमई विभाग के अपर मुख्य सचिव के कार्यालय के साथ फॉलो-अप किया और अपर सचिव और पूर्व महानिदेशक द्वारा दिनांक 06.04.2022 का एक पत्र लिखा गया है और एक अन्य पत्र डीजी-सिपेट द्वारा दिनांक 06.07.2022 का भूमि आवंटित करने के लिए लिखा गया है, लेकिन इसे अभी तक आवंटित नहीं किया गया है।

- हालांकि, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 17.11.2021 के पत्र द्वारा सिपेट से सटे बांध स्थल पर चिन्हित की गई उपलब्ध 12.22 एकड़ भूमि में से सिपेट को 2.20 एकड़ भूमि देने की प्रक्रिया पर सहमति व्यक्त की थी। सिपेट वाराणसी ने भी सिपेट भूमि से सटे 2.20 एकड़ भूमि आवंटित करने की सहमति दी थी।
- यह 12.22 एकड़ भूमि वर्तमान में श्रम विभाग को आवंटित की गई है। अटल आवासीय योजना योजना के तहत 10.00 एकड़ भूमि पर एक आवासीय विद्यालय स्थापित किया जा रहा है और शेष 2.22 एकड़ भूमि को पीडब्ल्यूएमसी के लिए सिपेट को हस्तांतरित किया जाना है। लेकिन अटल आवासीय योजना के अधिकारियों ने कहा कि 12.22 एकड़ में से केवल 10.44 एकड़ भूमि उपलब्ध है जो उपयोग करने योग्य है।
- इसके अलावा, भूमि की उपलब्धता को सत्यापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी। अपर मुख्य सचिव, एमएसएमई ने 12.22 एकड़ भूमि के पुन: सर्वेक्षण के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्व विभाग, लेखपाल आदि अधिकारियों द्वारा 19.06.2022 को भूमि का सर्वेक्षण किया गया और सिपेट और श्रम विभाग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
- सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अटल आवासीय योजना परिसर का निर्माण 10.44 एकड़ भूमि पर किया जा रहा है और बांध के दोनों ओर केवल 1.78 एकड़ भूमि एल-आकार में संकीर्ण भूमि के बेल्ट के रूप में शेष है और सिपेट पीडब्ल्यूएमसी परियोजना के लिए 2.22 एकड़ की कोई नियमित आकार की भूमि उपलब्ध नहीं है। इसलिए उपलब्ध भूमि अपर्याप्त है और वाराणसी में सिपेट, पीडब्ल्यूएमसी की स्थापना के लिए उपयुक्त नहीं है।
- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित संशोधित एसओपी के अनुसार, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र की स्थापना के लिए आवश्यक भूमि 2.0 से 3.0 एकड़ है और प्रदर्शन मोड पर संचालित होगी।
- नतीजतन, सिपेट वाराणसी ने भविष्य के विस्तार के साथ लड़कों और लड़कियों के छात्रावास के लिए भूमि पर विचार करने के बाद सिपेट: सीएसटीएस वाराणसी में मौजूदा परिसर में आवश्यक भूमि और उपयुक्त क्षेत्रों की उपलब्धता की भी जांच की और 3 स्थानों की पहचान की है। 3 स्थानों में से, सिपेट वाराणसी के मौजूदा परिसर

में एक उपयुक्त भूमि की पहचान की गई है और सिपेट प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- सिपेट वाराणसी ने दिनांक 20.10.2022 के पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को सिपेट वाराणसी के मौजूदा परिसर में विद्युत, जल और अन्य सिविल अवसंरचना आदि के साथ 4000 वर्ग मीटर शेड के पूर्वनिर्मित ढांचे के निर्माण में सहयोग करने के लिए प्रस्तावित किया।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

समिति की दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक मंगलवार, 14 फरवरी, 2023 को 1410 से 1530 बजे तक समिति कक्ष 'डी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2. श्री दिव्येन्दु अधिकारी
3. श्री दीपक बैज
4. श्री कृपानाथ मल्लाह
5. श्री सत्यदेव पचौरी
6. श्री अरूण कुमार सागर
7. श्री प्रदीप कुमार सिंह
8. श्री उदय प्रताप सिंह
9. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

<u>राज्य सभा</u>

10. डा. अनिल जैन

<u>सचिवालय</u>

5. श्री एन. के. झा - निदेशक
6. श्रीमती गीता परमार - अपर निदेशक
7. श्री कुलविंदर सिंह - उप सचिव
8. श्री पन्नालाल - अवर सचिव

<u>साक्षी</u>

रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग) के प्रतिनिधि

1	श्री अरूण बरोका	सचिव, सीएंडपीसी
2	श्री संजय रस्तोगी	एएस एवं एफए
3	श्री दीपक मिश्रा	संयुक्त सचिव (पीसी)
4.	श्री सुशांत कुमार पुरोहित	संयुक्त सचिव (सी)
5.	सुश्री दिव्या परमार	आर्थिक सलाहकार
6.	श्री गंगा कुमार	डीडीजी
7.	श्री एच. काम स्वानथांग	संयुक्त सचिव (प्रशासन/विग)
8.	श्री अवतार सिंह संधू	मुख्य लेखा नियंत्रक**,** सीएंडपीसी
9.	श्री के. के. श्रीवास्तव	निदेशक (रसायन)
10.	श्री राम सजीवन	निदेशक
11.	डॉ. शिशिर सिन्हा	डीजी, सिपेट
12.	श्री सजीव बी.	सीएमडी, एचओसीएल एवं सीएमडी, एचएफएल
13.	श्री योगेन्द्र शुक्ला	डीएफ, एचओसीएल
14.	श्री रूपेन्द्र कुमार श्रीवास्तव	लेखा अधिकारी, डब्लूसी, बीजीएलडी का कार्यालय

2. सर्वप्रथम, सभापति ने 'अनुदानों की मांगां (2023-24)' के संबंध में विभाग का मौखिक साक्ष्य लेने हेतु बुलाई गई समिति की बैठक में रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (डीसीपीपीसी), रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। तत्पश्चात्, उनका ध्यान समिति की बैठक की कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में 'अध्यक्ष के निदेश' के निदेश 58 की ओर आकृष्ट किया गया।

3. तत्पश्चात्, सचिव, डीसीपीपीसी ने समिति को पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अनुदानों की मांगों की जांच से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी अर्थात् विभाग को आबंटित निधियों की तुलना में वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजटीय आबंटन, विभाग को निधियों के आबंटन में भारी कटौती के कारण और इससे विभाग की विभिन्न स्कीमें/ कार्यक्रम किस प्रकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, विभाग की विभिन्न स्कीमों/ कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु उठाए जा रहे कदम; वर्ष के दौरान विभाग के मुख्य फोकस क्षेत्र आदि। वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों के आबंटन में कटौती के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान आबंटित निधियों का अल्प उपयोग पेट्रोलियम, रसायन और

पेट्रोरसायन निवेश क्षेत्रों (पीसीपीआईआर), प्लास्टिक पार्कों और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन केंद्रों (पीडब्लूएमसी) की स्थापना में विलंब आदि पर भी प्रकाश डाला गया।

4. सचिव, डीसीपीसी ने समिति को रसायन और पेट्रोरसायन के निर्यात/आयात, देश द्वारा रसायनों की वैश्विक बिक्री, क्षेत्र के विकास वाहक, क्षेत्र का अनुमानित बाजार आकार, रसायन क्षेत्र में एफडीआई, उत्कृष्टता केंद्र (सीओई), रसायन संवर्धन एवं विकास स्कीम (सीपीडीएस), केंद्रीय पेट्रोरसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सिपेट) – राष्ट्रीय उपस्थिति, कीटनाशी सूत्रयोग प्रौद्योगिकी संस्थान (आईपीएफटी), आईपीएफटी, एचआईएल (इंडिया) लिमिटेड का प्रत्यायन, टिड्डी हमले (2019-20) को रोकने में एचआईएल की भूमिका, रसायन संवर्धन विकास स्कीम (सीपीडीएस) के अंतर्गत एचआईएल द्वारा आयोजित किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफटीपी), हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लिमिटेड (एचओसीएल), हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल), भोपाल गैस रिसाव त्रासदी (बीजीएलडी), वितरित मुआवजे का ब्योरा, बीआईएस गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के बारे में जानकारी दी। उद्योग से जुड़े मुद्दों और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा राजस्व विभाग आदि से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए हाल ही के कार्य।

5. तदुपरांत, समिति ने रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की वित्तीय वर्ष 2023-24 की अनुदानों की मांगों की जांच से जुड़े मुद्दों पर कुछ स्पष्टीकरण मांगे जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल्स और सिपेट की नई स्कीमों के लिए निधियों के आबंटन में भारी कटौती, एचएफएल को दिए गए ऋण एवं अग्रिम, तमोट, मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्कों की स्थापना की वर्तमान स्थिति और पीडब्लूएमसी, पेट्रोकेमिकल्स के निर्यात और आयात में अंतर तथा अंतर को पाटने के लिए उठाए गए कदम, प्लास्टिक पार्कों और उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के बारे में तुलनात्मक विवरण, पीसीपीआईआर की वर्तमान स्थिति, विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्य, एचओसीएल द्वारा आबंटित निधियों के उपयोग में कमी के कारण और इस बारे में उठाए गए कदम, एचओसीएल की सीएसआर निधियों का ब्योरा आदि शामिल थे।

6. विभाग के प्रतिनिधियों ने सदस्यों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। कुछ प्रश्नों के संबंध में विस्तृत और सांख्यिकीय जानकारी अपेक्षित थी, अत: सभापति ने सचिव, डीसीपीसी को सदस्यों द्वारा पूछे

गए उन प्रश्नों, जिनका समिति की बैठक के दौरान उत्तर न दिया जा सका, के लिखित उत्तर दो दिन के भीतर भेजने के लिए कहा।

(तत्पश्चात् साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।)

[बैठक की शब्दश: कार्यवाही का रिकार्ड रखा गया।]

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति
(2022-23)

समिति की बारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक सोमवार, 20 मार्च, 2023 को समिति कक्ष संख्या 3, ब्लॉक 'ए', संसदीय सौध विस्तार भवन, नई दिल्ली में 1600 बजे से 1630 बजे तक हुई।

उपस्थित

डॉ शशि थरूर – सभापति

सदस्य

<u>लोक सभा</u>

2 श्री सी एन अन्नादुरई
3 श्री दीपक बैज
4 श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर
5 श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा
6 डॉ. संजय जायसवाल
7 श्री रमेश चंदप्पा जिगाजिनागि
8 श्री सत्यदेव पचौरी
9 श्रीमती अपरूपा पोद्दार
10 श्री उदय प्रताप सिंह
11 श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा

राज्य सभा

12 डॉ. अनिल जैन
13 श्री राम नाथ ठाकुर
14 श्री विजय पाल सिंह तोमर

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री विनय कुमार मोहन	-	संयुक्त सचिव
2.	श्री नवीन कुमार झा	-	निदेशक
3.	श्रीमती गीता परमार	-	अपर निदेशक
4.	श्री कुलविंदर सिंह	-	उप सचिव
5.	श्री पन्ना लाल	-	अवर सचिव

2. सभापति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया और उन्हें मामूली संशोधन के साथ स्वीकार किया:

(i) xxx xxx xxx xxx;

(ii) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय की अनुदानों की मांगें 2023-24; और

(iii) xxx xxx xxx xxx

3. तत्पश्चात, समिति ने सभापति को प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और संबंधित मंत्रालय/विभागों से प्राप्त तथ्यात्मक सत्यापनों के आलोक में संसद के दोनों सदनों में प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने/सभा पटल पर रखने के लिए प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।